

आवास सम्बन्धी परिपत्र

(पंद्रहवीं लोक सभा)

ACCOMMODATION CIRCULAR

(FIFTEENTH LOK SABHA)

लोक सभा सचिवालय

LOK SABHA SECRETARIAT

वैशाख, 1931 (शक) MAY, 2009

संख्या एफ० 30/4/09 एम० एस्०

लोक सभा सचिवालय

सदस्य सेवा शाखा

संसदीय सौध
नई दिल्ली-110001
दिनांक मई, 2009
वैशाख, 1931(शक)

प्रेषक

ब्रह्म दत्त
संयुक्त सचिव

सेवा में,

लोक सभा के सभी सदस्य

विषय: पंद्रहवीं लोक सभा के सभी सदस्यों को निवास स्थानों का आवंटन।

प्रिय महोदय/महोदया,

मुझे आपका स्वागत करते हुए उपर्युक्त विषय पर आपको पत्र भेजने और यह निवेदन करने का निदेश हुआ है कि क्या आप दिनांक..... को गठित पंद्रहवीं लोक सभा के लिए सदस्य निवास स्थान हेतु आवेदन करना चाहते हैं? संसद सदस्यों को आवंटित किए जाने के लिए निर्धारित निवास स्थानों का एक विवरण संलग्न है। (अनुबंध-I)

2. यह संभावना है कि चौदहवीं लोक सभा के निवर्तमान सदस्य निवास-स्थान पूल के आवासों को पंद्रहवीं लोक सभा के सदस्यों को आवंटित किए जाने के लिए समय पर खाली न कर पायें, अतः जब तक उन्हें नियमित आवास-स्थान उपलब्ध नहीं कराया जाता तब तक प्रत्येक सदस्य के रहने के लिए अस्थायी तौर पर विट्टलभाई पटेल हाउस/राज्य सरकारों के नई दिल्ली स्थित अतिथि गृहों/भवनों आदि में लाइसेंस होस्टल शुल्क मुक्त सिंगल सूट्स की व्यवस्था की गई है। परन्तु सदस्यों को भोजन तथा टेलीफोन बिल, आदि सहित अन्य अतिरिक्त सेवाओं के लिए संबंधित प्राधिकारियों को सीधे भुगतान करना होगा। अस्थायी आवास आवंटन की तारीख से सदस्यों को स्थायी निवास स्थान का कब्जा लेने की तारीख तक की अवधि के लाइसेंस शुल्क का भुगतान संपदा निदेशालय, शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जाएगा। अस्थायी निवास में ओवरस्टे अथवा अगर सदस्य को अतिरिक्त आवास चाहिए तो उसे अतिथि गृहों/भवनों के संबंधित प्राधिकारियों को सीधे भुगतान करना होगा।

3. सदस्यों के अनुरोध पर एम टी एन एल उनके अस्थायी आवास पर अस्थायी टेलीफोन कनेक्शन लगाएगा। अतिथि गृहों में रहने के दौरान किए गए टेलीफोन काल आवास और टेलीफोन सुविधाएं (संसद सदस्य) नियम, 1956 यथा संशोधित के अंतर्गत एक वर्ष के दौरान मान्य कुल निःशुल्क कालों में समायोजित कर लिये जाएंगे।

संसद सदस्यों को आवास आदि की सुविधाएं

4. लोक सभा की आवास समिति के गठन के बाद लोक सभा आवास पूल से आवंटन के संबंध में निर्धारित किये जाने वाले मानदंडों के अनुसार संसद सदस्यों को निम्नलिखित प्रकार के आवास नियमित आधार पर आवंटित किए जाते हैं, अर्थात्:—

(एक) होस्टल आवास;

(दो) फ्लैट; और

(तीन) बंगला।

5. संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 यथा संशोधित के अंतर्गत बनाए गए आवास तथा टेलीफोन सुविधाएं (संसद सदस्य) नियम, 1956, यथा संशोधित में किए गए उपबंधों के अनुसार सदस्यों को निःशुल्क होस्टल/फ्लैट आवास का आवंटन किया जाता है। आवास समिति द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार जिस पात्र सदस्य को बंगले का आवंटन किया जाता है उसे 105 रुपये प्रतिमास (जैसा कि संसद सदस्यों के लिए किराए में छूट के बिना लागू है) की सामान्य दर पर लाइसेंस शुल्क का भुगतान करना होगा। यदि उस बंगले में कार्यालय खंड है तो उसके लिए अतिरिक्त किराए का भुगतान करना होगा।

6. विट्ठलभाई पटेल हाउस में किसी भी सदस्य को यह छूट प्राप्त है कि वह नियमित आवंटन के आधार पर एक डबल और “एक सिंगल सूट” अथवा “तीन सिंगल” सूट्स ले सकता है। चूंकि विट्ठलभाई पटेल हाउस में कमरों की मांग उपलब्ध आवास-स्थान से अधिक होने की संभावना है अतः आपसे अनुरोध है कि आप कृपया वैकल्पिक आवास स्थान के लिए अपनी दूसरी और तीसरी प्राथमिकता बताने की कृपा करें।

7. सदस्यों को उपलब्ध आवास इत्यादि की अन्य सुविधाएं अनुबंध-II में दी गयी हैं।

8. सदस्यों को आवास आवंटित करते समय अपनाए जाने वाले सामान्य सिद्धांत अनुबंध-III में दिए गए हैं।

9. लोक सभा संसद सदस्यों के पूल के अधीन आवंटित आवास पर कब्जा लेने/सौंपने की प्रक्रिया अनुबंध-IV/V में दी गयी है।

10. किराये तथा अन्य प्रभारों की वसूली सामान्यतया सदस्य के वेतन बिलों से की जाएगी।

किसी आवास-स्थान का कब्जा लेने से पहले अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित मामलों में सदस्य को एक अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे:—

(एक) कि अलाटमेंट इस शर्त पर की गई है कि सभी देय सरकारी राशि आप समय पर अपने वेतन बिलों अथवा यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ते से कटौती द्वारा अथवा नकद रूप में देने के लिए सहमत हैं। यदि आप समय पर भुगतान नहीं करते तो किराएदारी तुरन्त रद्द की जा सकती है और इसके परिणामस्वरूप निवास-स्थान खाली कराया जा सकता है।

(दो) आगे किराये पर देना/साथ रखना—लोक सभा की आवास-समिति के सभापति से लिखित रूप में अनुमति लिए बिना आप किसी व्यक्ति, चाहे वह संसद सदस्य हो अथवा कोई अन्य व्यक्ति हो, आवास-स्थान आगे किराए पर नहीं देंगे अथवा उसे अपने साथ नहीं रखेंगे।

(तीन) आप किसी भी कारण संसद के किसी कर्मचारी को अथवा किसी सरकारी कर्मचारी को आवास-स्थान आगे किराए पर नहीं देंगे अथवा उसे अपने साथ नहीं रखेंगे।

(चार) अन्य ऐसी बातें जो नियमों द्वारा समय-समय पर उपबंधित की जाएं जैसे कि स्वच्छता बनाए रखना, पौधों की उचित प्रकार से देख-रेख, आदि।

11. सदस्य का ध्यान इस बात की ओर विशेष रूप से दिलाया जाता है कि आपको अलाट किया गया आवास-स्थान मुख्यतया केवल आपके और आपके परिवार के सदस्यों के लिए है और किन्हीं भी परिस्थितियों में आवास-स्थान को आगे किराए पर दिए जाने अथवा उसमें किसी अनधिकृत व्यक्ति को ठहरने की अनुमति नहीं दी जायेगी। परिवार में पत्नी, पति, जैसी स्थिति हो, बच्चे, सौतेले बच्चे, विधिवत गोद लिए बच्चे, माता-पिता, भाई अथवा बहन जो साधारणतया संसद सदस्य के साथ रहते हों, और उन पर आश्रित हों, सम्मिलित हैं।

12. यदि सरकारी प्राधिकारियों को यह पता चलता है कि किसी सदस्य ने लोक सभा की आवास समिति के सभापति की लिखित अनुमति लिए बिना दिल्ली में अपनी उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति के दौरान अपना आवास-स्थान आगे किराए पर दिया है या उसे अलाट किए गए आवास-स्थान, सर्वेंट क्वार्टर और गैराज में किसी अनधिकृत व्यक्ति को ठहरने दिया है, तो उस मामले की रिपोर्ट लोक सभा के अध्यक्ष को ऐसी कार्यवाही के लिए जो वह आवश्यक समझे की जायेगी। अध्यक्ष महोदय जो भी कार्यवाही करें उसके अतिरिक्त ऐसे सदस्य को लोक सभा के अगले सत्र अथवा स्थगित सत्र के दौरान दिल्ली में सदस्यों के आवास-स्थान के लिए प्रार्थना-पत्र देने के अधिकार से वंचित कर दिया जायेगा।

13. (एक) सेवानिवृत्त होने, त्यागपत्र देने/हटाये जाने के बाद अथवा अन्यथा लोक सभा का सदस्य न रहने पर संसद सदस्य अथवा उनके परिवार सरकारी आवास में अधिक से अधिक एक मास तक उसी किराए पर, जो कि वे उक्त घटनाओं में से किसी के घटित होने से पूर्व दे रहे थे, रह सकते हैं।

(दो) किसी सदस्य का निधन हो जाने पर दिवंगत सदस्य का परिवार सरकारी आवास को रियायती दर पर यदि कोई हो, जो सदस्य के निधन से पूर्व लिया जाता था, निधन की तिथि से छः माह तक अपने पास रख सकता है।

14. सदस्यों से अनुरोध है कि वे इस आवास परिपत्र के साथ संलग्न अनुबंध-VI के प्रपत्र में भरकर अपने आवेदन भेजें। आवास के लिए आवेदन करते समय दो या दो से अधिक प्राथमिकताएं बताएं ताकि आवास समिति को आवंटन निर्धारित करते समय सुविधा हो, तथापि प्राथमिकता वाले आवास के आवंटन की गारन्टी नहीं दी जा सकती।

15. स्टाफ क्वार्टरों, गैराजों, रेफ्रीजरेटोरों आदि का आवंटन—जिन सदस्यों को रेफ्रीजरेटोरों, मोटर गैराजों और स्टाफ क्वार्टरों की आवश्यकता है, वे संलग्न निर्धारित प्रपत्रों (अनुबंध-VII से IX) में, जो संसदीय सौध स्थित लोक सभा सचिवालय की सदस्य सेवा शाखा से मिल सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। रेफ्रीजरेटोरों और स्टाफ क्वार्टरों व गैराजों की कमी के कारण सभी सदस्यों की आवश्यकताओं को पूरा करना शायद सम्भव न हो सके।

मोटर गैरेज का आवंटन सामान्यतया आपके अपने नाम पर वाहन के पंजीकरण प्रमाण पत्र की फोटोस्टेट प्रति देने पर ही किया जाता है। रेप्रीजेंटेटिवों, गैराजों और स्टाफ क्वार्टरों का आवंटन आवेदन पत्रों की प्राप्ति की तारीख के अनुसार ही, और यदि आवश्यक हुआ तो आवास समिति के सभापति के निर्देश से की जाएगी।

16. टेलीफोन सुविधाएं—आवास और टेलीफोन सुविधाएं (संसद सदस्य) नियम, 1956 (यथासंशोधित) के अंतर्गत एक संसद सदस्य, नई दिल्ली और अपने निर्वाचन क्षेत्र अथवा अपने सामान्य निवास स्थान के लिए कुल तीन लैण्डलाइन टेलीफोन कनेक्शन और दो मोबाइल कनेक्शन के लिए प्राधिकृत है। एक सदस्य एक वर्ष में इन सभी कनेक्शनों पर कुल 150000 निःशुल्क स्थानीय काल कर सकता है। इसके अलावा एक संसद सदस्य को ब्राडबैंड कनेक्शन पर 1500 रुपये प्रतिमाह की निःशुल्क काल की सुविधा प्राप्त है। टेलीफोन लगवाने संबंधी निर्धारित प्रार्थना पत्र अनुबंध X से XV में दिए हुए हैं।

17. कृपया इस पत्र का उत्तर2009 तक भर कर भेज दें अन्यथा यह मान लिया जाएगा कि आपको किसी आवास की आवश्यकता नहीं है और आवास उप-समिति/लोक सभा सचिवालय ऐसे सदस्यों के लिए आवास के आवंटन की प्रक्रिया शुरू कर देगी जिनके आवेदन पत्र इस तिथि तक प्राप्त हो चुके हैं। अगर पोस्ट द्वारा उत्तर भेजने में विलंब की संभावना है तो सूचना टेलीग्राम/फैक्स द्वारा भेजी जा सकती है।

टिप्पण: आवास के लिए सदस्य द्वारा भेजे गए उन सभी प्रार्थना पत्रों पर, जो इस परिपत्र के जारी किए जाने से पूर्व लोक सभा सचिवालय में प्राप्त हुए हों, साधारणतया कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। इसलिए सदस्यों से प्रार्थना है कि वे इस परिपत्र के उत्तर में निर्धारित प्रपत्रों में पुनः आवेदन करें।

भवदीय

ब्रह्म दत्त
संयुक्त सचिव

अनुबंध एक

(आवास संबंधी परिपत्र—मई, 2009 के पैरा 1 का संदर्भ लें)

लोक सभा संसद सदस्य पूल से संसद सदस्यों को आवंटन के लिए उपलब्ध आवास का विवरण
बंगले और फ्लैट्स

क्र० सं०	आवास	कुल इकाई
1.	बंगले	161
2.	ट्विन फ्लैट्स, नार्थ एवेन्यू	23
3.	ट्विन फ्लैट्स, साउथ एवेन्यू	24
4.	सिंगल फ्लैट्स, नार्थ एवेन्यू	123
5.	सिंगल फ्लैट्स, साउथ एवेन्यू	89
6.	सिंगल फ्लैट्स, मीना बाग	21
7.	एम०एस० फ्लैट्स, बी०के०एस० मार्ग	39
8.	सिंगल फ्लैट्स, पंडारा पार्क	1
9.	सिंगल फ्लैट्स, रवीन्द्र नगर	1
10.	सिंगल फ्लैट्स, तिलक लेन	2
11.	*वी०पी० हाउस (होस्टल टाइप आवास) (एकल-68 और डबल-25) (39 एकल नियमित आवास की तरह व्यवहृत + एक अतिरिक्त एकल सुईट)	39
	कुल	523

*वी०पी० हाउस-1 डबल + 1 सिंगल अथवा 3 सिंगल = 1 नियमित इकाई

68 सिंगल

25 डबल = 39 नियमित इकाई + 1 अतिरिक्त

स्टाफ क्वार्टर्स और मोटर गैराज

क्र० सं०	क्षेत्र	स्टाफ क्वार्टर की कुल इकाई	मोटर गैराज की कुल इकाई
1.	नार्थ एवेन्यू (पुराना) (एन० ब्लॉक)	109 20	34 24
2.	साउथ एवेन्यू (पुराना) (एस० ब्लॉक)	95 5	31 12
3.	वी०पी० हाउस	33	15
4.	फिरोजशाह रोड	42	10
5.	केनिंग लेन	1	4
6.	डा० राजेन्द्र प्रसाद रोड	15	2
7.	रवीन्द्र नगर	जब्त	1
8.	मीना बाग	जब्त	17
9.	वेस्टर्न कोर्ट होस्टल (बी० ब्लाक) न्यू ब्लाक	3 5	—
	कुल	328	150

बंगलों का क्षेत्रवार विवरण

क्र० सं०	क्षेत्र	कुल इकाई	बंगला सं०	श्रेणी
1.	अशोक रोड	5	16 34, 42, 44, 50	VIII V
2.	अतुल ग्रोव रोड	1	30ए	VI
3.	बलवंत राय मेहता लेन	5	1, 5, 7, 11-ए, 23	VII
4.	विशंभर दास मार्ग	9	2, 4, 8, 14 *(1, 3, 5, 7, 9)	VI
5.	केनिंग लेन	13	3, 5, 9, 15, 17, 19, 20, 25, 27, 29, 30, 40, 42	VI
6.	कापरनिकस लेन	1	20	VIII
7.	फिरोजशाह रोड	24	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 18, 23, 25, 31, 33, 12-ए, 12-सी, 12-डी, 13-ए, 13 ई, 14-बी, 14-सी, 14-ई, 16-ए	VI V
8.	गुरुद्वारा रकाबगंज रोड	8	2, 5, 6, 8, 18, 19, 22, 24	VI
9.	हुमायूं रोड	3	सी-1/2, सी-1/7, सी-1/20 *(सी-1/2)	VI
10.	हरीश चन्द्र माथुर लेन	4	1, 3, 7, 9	VI
11.	जनपथ	8	14, 16, 20, 22 *(13(15ए), 17, 19) 7-बी	VI VII
12.	जंतर मंतर	1	1	VII
13.	कामराज लेन	3	2, 6, 7	VII
14.	लोधी स्टेट	6	7, 8-ए, 17, 64, 81, 85	VII
15.	लोधी गार्डन	1	सी-1/13	V
16.	महादेव रोड	12	3, 4, 8, 11, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 28, 32	V
17.	मथुरा रोड	2	एबी-13, एबी-18	VII
18.	पंडारा पार्क	6	सी 1/2, सी 1/15, सी 1/16, सी 1/19, सी 1/20, सी 1/36	VI
19.	पंडारा रोड	1	एबी-14	VII
20.	पंडित पंत मार्ग	6	2, 7, 9, 10, 11-ए, 12	VI
21.	राजेन्द्र प्रसाद रोड	7	6, 12, 14, 18, 20, 22, 24	VI
22.	सफदरजंग लेन	1	*(12)	VII
23.	सफदरजंग रोड	1	*(7)	VII
24.	शाहजहां रोड	4	एबी-79, एबी-83, एबी-90, एबी-91	VII
25.	साउथ एवेन्यू लेन	1	2	VII
26.	तीन मूर्ति लेन	4	2, 6, 13, 14	VII
27.	तीन मूर्ति मार्ग	1	12	VII
28.	टेलीग्राफ लेन	1	4-ए	VI

*आबंटन के लिए उपलब्ध नहीं।

क्र० सं०	क्षेत्र	कुल इकाई	बंगला सं०	श्रेणी
29.	तालकटोरा रोड	5	2-ए, 4, 5, 8, 9	VI
30.	तालकटोरा लेन	1	1-ए	VI
31.	तिलक मार्ग	1	एबी-17	VII
32.	तिलक लेन	2	सी-1/7, सी-1/10	VI
33.	तुगलक लेन	1	12	VIII
34.	विण्डसर प्लेस	9	6, 11, 12, 12-ए, 14, 17, 18, 19, 20	VI
35.	वेलिंगटन क्रीसेंट	1	20	VII

फ्लैटों का क्षेत्रवार विवरण

टाइप V (ए)	—	ड्राइंग रूम एक बेडरूम सेट
टाइप V (बी)	—	ड्राइंग रूम दो बेडरूम सेट
टाइप V (सी)	—	ड्राइंग रूम तीन बेडरूम सेट
टाइप V (डी)	—	ड्राइंग रूम चार बेडरूम सेट
संयुक्त फ्लैट टाइप V (ए/ए)	—	दो ड्राइंग रूम और दो बेडरूम सेट
संयुक्त फ्लैट टाइप V (ए/बी)	—	दो ड्राइंग रूम और तीन बेडरूम सेट
संयुक्त फ्लैट टाइप V (बी/बी)	—	दो ड्राइंग रूम और चार बेडरूम सेट
हास्टल टाइप (बी/बी)	—	वेस्टर्न कोर्ट होस्टल और वी.पी. हाउस में सिंगल और डबल रूम सेट
टाइप VI (स्पेशल टाइप)	—	एम.एस. फ्लैट्स, बी.के. एस. मार्ग, ड्राइंग रूम + तीन बेडरूम + दो स्टाफ क्वार्टर + एक मोटर गैरेज

क्र० सं०	क्षेत्र	कुल इकाई	फ्लैट सं०	श्रेणी
1.	तिलक लेन	2	सी-II/5, सी-II/32	V (डी)
2.	पंडारा पार्क	1	*(C/3)	V
3.	रवीन्द्र नगर	1	डी-II/35	V (बी)
4.	एम०एस० फ्लैट्स	39	ए-1, ए-3, ए-4, ए-5, ए-6, ए-7, बी-1, बी-4, बी-5, सी-1, सी-2, सी-3, सी-6, सी-7, डी-1, डी-2, डी-4, बी-201, बी-203, बी-204, बी-301, बी-302, बी-304, बी-401, बी-402, बी-403, बी-404, बी-501, बी-502, बी-504, बी-601, बी-602, बी-603, बी-604, बी-701, बी-702, बी-703, बी-704, सी-503	V VI (विशेष श्रेणी)

*आबंटन के लिए उपलब्ध नहीं।

क्र० क्षेत्र सं०	कुल इकाई	फ्लैट सं०	श्रेणी
5. मीना बाग टाइप-सी	21	1, 8, 9, 10, 11, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 38, 41, 43, 44	V (सी)
6. नार्थ एवेन्यू टाइप-ए	6	4, 6, 96, 196, *(95, 195)	V
श्रेणी बी	115	1, 2, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 31, 33, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 59, 61, 62, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 76, 83, 84, 85, 89, 91, 92, 93, 94, 97, 98, 100, 114, 115, 118, 122, 127, 128, 130, 132, 139, 140, 142, 143, 146, 147, 148, 149, 150, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 183, 184, 185, 187, 188, 189, 190, 192, 194, 197, 200, 201, 202, 204, 206, 208, 209, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 221, 222, 224, 225, 226, 227, *(64, 102, 111)	V
श्रेणी सी	2	30, 32	V
संयुक्त फ्लैट्स टाइप ए/ए	23	3-5, 7-9, 8-10, 23-25, 24-26, 35-37, 51-53, 52-54, 55-57, 56-58, 80-82, 104-106, 107-109, 108-110, 123-125, 124-126, 152-154, 155-157, 156-158, 167-169, 168-170, 179-181, 180-182	V
6. साउथ एवेन्यू टाइप बी	65	6, 10, 14, 20, 26, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 51, 52, 56, 58, 59, 64, 65, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 84, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 119, 121, 123, 125, 126, 131, 132, 133, 134, 136, 137, 142, 151, 152, 157, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 167, 169, 170, 180, 186, 189, *(13, 31, 71, 120)	V
टाइप सी	24	22, 77, 80, 81, 82, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 122, 173, 174, 175, 176, 178, 182, 184, 185, 187, 188, 201	V

*आबंटन के लिए उपलब्ध नहीं।

क्र० क्षेत्र सं०	कुल इकाई	फ्लैट सं०	श्रेणी
संयुक्त फ्लैट्स टाइप ए/ए	20	1-3, 2-4, 15-17, 16-18, 27-29, 28-30, 43-45, 44-46, 47-49, 48-50, 101-103, 115-117, 116-118, 127-129, 128-130, 143-145, 144-146, 147-149, 148-150, 171-172	V
संयुक्त फ्लैट्स टाइप बी/बी	4	33-35, 37-39, 203-204, *(154-156)	V
7. वी.पी. हाउस डबल सुईट्स	25	6, 7, 14, 101-बी, 101-सी, 114, 121, 127, 128, 213, 214, 221, 227, 228, 306, 307, 313, 321, 327, 328, 421, 506, 514, 520, 521	होस्टल टाइप
सिंगल सुईट्स	68	2, 3, 8, 9, 10, 25, 26, 101, 101-ए, 102, 103, 108, 109, 110, 111, 116, 117, 125, 126, 201, 202, 205, 208, 210, 215, 216, 217, 218, 219, 224, 225, 226, 305, 308, 311, 312, 315, 319, 322, 323, 324, 325, 326, 401, 402, 403, 404, 405, 408, 409, 410, 412, 413, 423, 424, 425, 501, 502, 508, 510, 511, 515, 516, 517, 518, 519, 522, 524	हास्टल टाइप

स्टाफ क्वार्टर्स का क्षेत्रवार विवरण

क्र० क्षेत्र सं०	कुल इकाई	स्टाफ क्वार्टर सं०
1. नार्थ एवेन्यू	109	3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 40, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 64, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 110, 111, 113, 115, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 146, 147, 148, 149, 150, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174

*आबंटन के लिए उपलब्ध नहीं।

क्र० क्षेत्र सं०	कुल इकाई	फ्लैट सं०	श्रेणी
नार्थ एवेन्यू (एन० ब्लाक)	20	एन-4, एन-8, एन-10, एन-11, एन-12, एन-13, एन-15, एन-16, एन-17, एन-18, एन-19, एन-20, एन-21, एन-22, एन-23, एन-24, एन-25, एन-26, एन-27, एन-28	
2. साउथ एवेन्यू	95	1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 49, 50, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 73, 75, 76, 77, 80, 81, 83, 86, 90, 91, 101, 102, 103, 105, 106, 113, 114, 115, 118, 120, 121, 123, 124, 125, 126, 132, 133, 134, 135, 136, 138, 139, 140, 141, 142, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 154, 156, 159, 161	
साउथ एवेन्यू (एस० ब्लाक)	5	एस-2, एस-3, एस-4, एस-5, एस-6	
3. वी० पी० हाउस	33	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 44, 47, 50, 51, 55, 57, 58, 63, 64	
4. फिरोज़शाह रोड	42	1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 30, 34, 39, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66	
5. केनिंग लेन	1	2	
6. डा० आर० पी० रोड	15	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (22, जनपथ के पीछे), 12 (21, जनपथ के पीछे) 13, 29	
7. वेस्टर्न कोर्ट होस्टल	3	4-बी, 6-बी, 10-बी	
वेस्टर्न कोर्ट न्यू कंस्ट्रक्शन	5	3, 6, 18, 19, 20	

मोटर गैराज का क्षेत्रवार विवरण

क्र० क्षेत्र सं०	कुल इकाई	मोटर गैराज सं०
1. नार्थ एवेन्यू	34	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 102, 104, 106, 107, 108, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 124, 125

क्र० सं०	क्षेत्र	कुल इकाई	फ्लैट सं०
	नार्थ एवेन्यू एन० ब्लाक	24	एन-4, एन-5, एन-7, एन-8, एन-10, एन-13, एन-14, एन-15, एन-16, एन-17, एन-18, एन-19, एन-20, एन-21, एन-22, एन-23, एन-25, एन-26, एन-27, एन-29, एन-30, एन-31, एन-33, एन-37
2.	साउथ एवेन्यू	31	2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 109, 110, 113, 114, 115, 117, 118, 119, 120
	साउथ एवेन्यू एस० ब्लाक	12	एस-1, एस-3, एस-5, एस-6, एस-7, एस-9, एस-10, एस-11, एस-12, एस-13, एस-15, एस-16
3.	वी० पी० हाउस	15	1, 3, 6, 7, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26
4.	केनिंग लेन	4	77, 78, 79, 84
5.	फिरोजशाह रोड	10	53, 54, 59, 61, 62, 63, 70, 71, 74, 75
6.	डा० आर० पी० रोड	2	8, 10
7.	रवीन्द्र नगर	1	82
8.	मीना बाग	17	1, 2-बी, 3, 6, 7, 8, 9, 10-ए, 11, 13, 14, 14-ए, 15, 16, 17, 21, 22

अनुबंध दो

(देखें, आवास संबंधी परिपत्र-मई, 2009 का पैरा 7)

लोक सभा सदस्यों को आवास आदि की अन्य सुविधाएं

1. प्रत्येक सदस्य आवास समिति द्वारा उसे आवंटित आवास अथवा दिल्ली में सदस्य के अधिकार वाले किसी निजी आवास के संदर्भ में बिना किसी प्रभार की अदायगी के 4000 किलोलीटर तक पानी की आपूर्ति तथा अधिकतम 50,000 यूनिट प्रतिवर्ष बिजली का भी हकदार होगा (लाइट/पावर मीटर अथवा सामूहिक रूप से एक साथ प्रत्येक में 25,000 यूनिट)। यदि पति और पत्नी, दोनों संसद के किसी-न-किसी सदन के सदस्य हैं और एक ही आवास में साथ-साथ रह रहे हैं तो बिजली की संगणना यूनिट में तथा पानी की किलोलीटर में अलग-अलग की जाएगी।

2. यदि किसी आवास में किसी प्रकार का परिवर्तन किया गया है, या अतिरिक्त सुविधायें अथवा कोई अतिरिक्त सेवा प्रदान की गई है तो उसके लिए जो लाइसेंस शुल्क देय होगा वह इस प्रकार के परिवर्तन या अतिरिक्त सुविधाओं अथवा अतिरिक्त सेवा के लिए दिये जाने वाले सामान्य किराये से 25 प्रतिशत कम होगा।

3. सदस्यों को टिकाऊ फर्नीचर के लिए 60,000/- रुपए तथा कम टिकाऊ फर्नीचर के लिए 15,000 रुपए की मौजूदा सीमा के भीतर किराया रहित फर्नीचर उपलब्ध कराए जाएंगे। तथापि, बाथरूम और रसोई में टाइल्स जैसी अतिरिक्त सुविधा एवं प्रत्येक तीन माह के बाद, सोफा तथा पर्दों की धुलाई की सुविधा सदस्य को निःशुल्क प्रदान की जाएगी। फर्नीचर की अतिरिक्त मदों का किराया सदस्य को उसके निवास पर उपलब्ध कराए गए फर्नीचर के अवमूल्यन के आधार पर प्रभारित किया जाएगा।

स्पष्टीकरण एक—“परिवर्धन या अतिरिक्त सुविधायें” का अर्थ अतिरिक्त आवास, फर्नीचर, टेबल और पैडस्टल पंखे, टेबल लैम्प, फ्लोर स्टैण्डर्ड लैम्प, बायलर, रेफ्रिजरेटर, डेजर्ट कूलर तथा वातानुकूल यंत्र का प्रावधान करना है।

स्पष्टीकरण दो—फर्नीचर का अर्थ फर्नीचर की ऐसी मदों जो किसी सदस्य को आवंटित आवास के लिए देय हों और उसमें ऐसी कोई भी अतिरिक्त मदें शामिल हैं जो उस सदस्य के आवास में किराये पर लगाई गई हों।

स्पष्टीकरण तीन—“अतिरिक्त सेवा” का अर्थ है: (क) सफाई कर्मचारियों, जमादारों और सदस्यों के आवासों से सम्बद्ध डस्टर और झाड़ू लगाने वाले कर्मचारियों की व्यवस्था;

(ख) सदस्यों के आवासों पर बिजली के बल्ब की सफाई;

(ग) फूल के गमलों (फ्लावर बैड्स) का रख-रखाव;

(घ) सदस्यों को सामान्य सुविधा की दृष्टि के किसी भी स्थान (जैसे कि पूछताछ कार्यालय) का रख-रखाव; और

(ङ) सदस्यों की सामान्य सुविधा के लिए प्रदान की गई कोई अन्य सेवा।

4. किराए में छूट

कभी-कभी सदस्यों के अनुरोध पर सदस्यों के निवास-स्थानों में अतिरिक्त आवास के रूप में परिवर्धन/परिवर्तन किया जाता है और उनके निवास स्थानों पर फर्नीचर और अन्य विद्युत उपकरण सफाई किए जाते हैं। सदस्यों को आवासों में कराए गए परिवर्तन और फर्नीचर तथा अतिरिक्त सेवाओं के लिए अतिरिक्त किराए की अदायगी करनी होगी जिसमें आवास तथा टेलीफोन सुविधा (संसद सदस्य) नियम, 1956 में किए गए उपबंधों के अनुसार 25 प्रतिशत छूट दी जाएगी।

5. नई दिल्ली नगर पालिका परिषद् से बंगलों/फ्लैटों के लिए लाइट, पावर और पानी के कनेक्शन प्रतिभूति राशि जमा करके लिये जा सकते हैं। विट्टलभाई पटेल हाउस, वैस्टर्न कोर्ट होस्टल के मामले में, जहां पर सरकार ने पृथक मीटर (सब-मीटर) लगा रखे हैं; प्रतिभूति राशि जमा कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई भी सदस्य अपने आवंटित आवास में पानी और बिजली का उपयोग निःशुल्क कर सकता है, जैसा कि उपरोक्त पैरा 1 में उल्लिखित है।

6. रफी मार्ग पर स्थित विट्टलभाई पटेल हाउस के फ्लैटों में अलग से रसोईघरों की व्यवस्था है। इस रसोईघर में पत्थर का कोयला/लकड़ी का कोयला/लकड़ी जलाने की किसी सदस्य को अनुमति नहीं दी जाएगी। वह इन फ्लैटों में गैस, बिजली स्टोव आदि का स्वयं अपना प्रबंध करेगा।

7. वैस्टर्न कोर्ट में मैस सुविधा उपलब्ध है। बंगलों या फ्लैटों में सदस्यों को भोजन की अपनी निजी व्यवस्था करनी होगी। संसद सदस्यों को वैस्टर्न कोर्ट मैस में भोजन करना अनिवार्य नहीं है। एक ही “सूईट्स” में सदस्यों के साथ रहने वाले अतिथियों या परिवार के सदस्यों के लिए मैस में भोजन करना अनिवार्य नहीं होगा, किन्तु ऐसे अतिथियों या परिवार के सदस्यों के लिए, जो (सदस्य को आवंटित कमरों के अलावा) अलग “सूईट्स” में रहते हों, मैस में भोजन करना अनिवार्य होगा।

- ध्यान दीजिए:-**1. (एक) आवास और दूरभाष सुविधा (संसद सदस्य) नियम, 1956 (यथासंशोधित) के अंतर्गत सदस्य आवासीय सुविधा के लिए एक फ्लैट के साथ-साथ एक स्टॉफ क्वार्टर तथा एक मोटर गैराज निःशुल्क लेने के हकदार हैं। तथापि, लोक सभा पूल में मोटर गैराज की कमी होने के कारण, मोटर गैराज का आवंटन उसकी उपलब्धता के अधीन होगा।
- (दो) बंगला टाइप के आवास के किराए के साथ-साथ स्टॉफ क्वार्टर एवं मोटर गैराज का अधिकतम किराया 105 रु० प्रतिमास होगा।
2. (एक) 60,000 रु० की लागत तक के टिकाऊ फर्नीचर और 15,000 रु० तक कम टिकाऊ फर्नीचर का किराया नहीं लिया जाता है।
- (दो) 60,000 रु० से अधिक लागत वाले टिकाऊ फर्नीचर के लिए 1.2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से किराया लिया जायेगा और 15,000 रु० से अधिक लागत वाले कम टिकाऊ फर्नीचर के लिए 2 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से किराया लिया जायेगा।
3. सेवाओं के लिए किराया/प्रभार सरकार द्वारा समय-समय पर यथानिर्धारित दर के अनुसार लिया जायेगा।
- (एक) अतिरिक्त सेवाओं के लिए जो राशि प्रभारित की जाती है वह बंगलों के मामले में सफाई कर्मचारियों तथा जमादारों के वेतन एवं कर्मचारियों को दिए जाने वाले झाड़नों, झाड़ुओं आदि पर होने वाले व्यय का भाग है।
- (दो) नार्थ और साउथ एवेन्यू के फ्लैटों के मामले में अतिरिक्त सेवाओं के लिए जो राशि प्रभारित की जाती है वह "कामन प्लेसेज" की स्वच्छता पर होने वाले व्यय का भाग है और उसमें (क) कॉमन हालों और उनमें दिए जाने वाले फर्नीचर, शीतलयंत्रों (रेफ्रिजरेटर्स) और अन्य वस्तुओं तथा सेवाओं के किराए, (ख) नार्थ और साउथ एवेन्यू में बैडमिन्टन कोर्टों में खर्च होने वाली बिजली के मूल्य, (ग) नार्थ और साउथ एवेन्यू में कैटीनों, वहां दिए गए फर्नीचर आदि के किराये के भाग, तथा उस किराए के भाग का एक अंश है जो (घ) (i) नार्थ और साउथ एवेन्यू के कॉमन लॉनों में, लॉन अलग-अलग करने वाली झाड़ियां लगाने, (ii) नार्थ और साउथ एवेन्यू मार्गों के अंत में रुकावट के रूप में आर०सी०सी० खम्भे लगाने, (iii) नार्थ तथा साउथ एवेन्यू में दूसरी मंजिल पर "ए" और "डी" किस्म के फ्लैटों की छतों (टैरेस) पर छोटे-छोटे पेशाब घरों की व्यवस्था करने तथा (iv) नार्थ और साउथ एवेन्यू के दूसरे मंजिल के फ्लैटों की खिड़कियों और रोशनदानों में लोहे की छड़ें लगाने का खर्च शामिल है।
- (तीन) मीना बाग के फ्लैटों के मामले में, प्रत्येक फ्लैट के सर्वेन्ट क्वार्टर के पानी का खर्च शामिल है।
4. बंगलों, फ्लैटों, स्टॉफ क्वार्टरों, गैराजों आदि में समय-समय पर होने वाले परिवर्तन के लिए सामान्य किराए के अतिरिक्त और किराया लिया जाता है।
5. उन सदस्यों से फूलों तथा सब्जियों की क्यारियों के रख-रखाव के लिए कोई राशि नहीं ली जायेगी, जो केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के मालियों द्वारा इस काम को न कराना चाहें।
6. यदि निवास स्थान फर्नीचर के बिना अलाट किया जाते हैं और स्वीकार कर लिए जाते हैं तो स्केल फर्नीचर का किराया नहीं लिया जाता है। वापिस की गई स्केल फर्नीचर का वस्तुओं पर स्केल फर्नीचर के किराए में आनुपातिक छूट दी जाती है।
7. विट्ठलभाई पटेल हाउस में सूट्स के मामले में बिजली और पानी का खर्च मीटर के हिसाब से अतिरिक्त लिया जायेगा।
8. (एक) सदस्यों को सी० पी० डब्ल्यू० डी० सेवा केन्द्रों के जरिए किराए पर निम्नलिखित मदों की भी आपूर्ति की जाती है:-
- (क) रेफ्रिजरेटर (बड़ा, मझोला और छोटा) - एक
- (ख) एयरकंडीशनर (स्पिलिट/विन्डो टाइप) - ड्राइंग रूम और बेडरूम के लिए एक-एक
- (ग) डेजर्ट कूलर/रूम कूलर - यदि आवश्यकता हो तो एयरकंडीशनर के स्थान पर
- (घ) रूम हीटर/ब्लोअर - ड्राइंगरूम और बेडरूम के लिए एक-एक
- (ङ) कीटनाशी यंत्र (इन्सेक्ट किलर)-ड्राइंग रूम और बेडरूम के लिए एक-एक
- (च) बॉयलर (25 ली० अथवा 35 ली० अथवा 50 ली०) - एक
- (दो) उपरोक्त विद्युत उपकरणों के लिए किराया सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित दरों के आधार पर लिया जाता है।
- (तीन) उपरोक्त मदों की आपूर्ति सी० पी० डब्ल्यू० डी० सेवा केन्द्रों के जरिए स्टॉक की उपलब्धता - चाहे स्टॉक नया हो या पुराना - के आधार पर की जायेगी।

9. इसके अतिरिक्त, नई दिल्ली में सदस्यों के निवासों/स्थानों पर पानी गरम करने के लिए सौर ऊर्जा प्रणाली (सोलर वाटर हीटिंग सिस्टम) भी लगाई जा रही है। इसी प्रकार, नई दिल्ली में सदस्यों के निवास स्थानों पर इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड (आईजीएल) के जरिए “पाइप नेचुरल गैस” (पीएनजी) की आपूर्ति के प्रस्ताव पर भी काम चल रहा है।

10. सभी निवास स्थानों से संबंधित किराए की दरें और अन्य सेवाएं/मदें अस्थायी हैं तथा भूतलक्षी प्रभाव से संशोधन के अधधीन हैं।

अनुबन्ध तीन

(देखें, आवास संबंधी परिपत्र-मई, 2009 का पैरा 8)

लोक सभा सदस्यों को आवासों का आवंटन करने के लिए अपनाए जाने वाले सामान्य सिद्धान्त

सदस्यों को आवासों का आवंटन करने के लिए निम्नलिखित सामान्य सिद्धान्त अपनाये जायेंगे:—

- (क) किसी भूतपूर्व सदस्य और किसी नव-निर्वाचित सदस्य के बीच किसी निवास-स्थान में रहने के बारे में की गई अनौपचारिक व्यवस्था मान्य नहीं होगी। केवल आवास समिति द्वारा किया गया आवंटन ही वैध होगा। इस संबंध में किसी प्रकार के उल्लंघन के परिणामस्वरूप नव-निर्वाचित सदस्य को परिहार्य विस्थापन और असुविधा हो सकती है।
- (ख) जिन सदस्यों ने आवंटित फ्लैटों तथा बंगलों को खाली कर दिया है उनका उन्हीं फ्लैटों के आवंटन के लिये किसी किस्म का कोई दावा नहीं रहेगा।
- (ग) आवास-स्थान के आवंटन में, उन सदस्यों को प्राथमिकता दी जायेगी जो प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने के लिये आवास संबंधी परिपत्र के पैरा 17 में दी गई अन्तिम तारीख से पहले प्रार्थना-पत्र भेजेंगे।
- (घ) आवास समिति द्वारा अपनाए गए मानदण्ड के अनुसार इस लोक सभा की आवास समिति की आवास उप समिति या इसके सभापति के परामर्श पर लोक सभा सचिवालय प्रत्येक सदस्य को अलग-अलग आवंटन करेगा।

बैलट— यदि सदस्यों की आवास स्थानों के आवंटन के लिये बैलट करना आवश्यक हुआ तो उसके लिये निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जायेगी:—

“प्रत्येक टाइप के आवास-स्थान के लिये प्रार्थना-पत्र भेजने वाले सदस्यों की सूची लोक सभा सचिवालय द्वारा तैयार की जायेगी जो निर्धारित तारीख तक प्राप्त सभी प्रार्थना-पत्र उसमें सम्मिलित करेगा। सूची क्रमानुसार संख्यांकित होगी।

बैलट के लिये निर्धारित समय पर सूची में दी गई क्रम-संख्या के अनुरूप संख्या वाली “पेपर डिस्क” तैयार रखी जायेगी। ये ‘डिस्क’ सभापति, आवास समिति, अथवा लोक सभा सचिवालय के अधिकारी की उपस्थिति में “बैलट बाक्स” में रखी जायेगी।

बैलट के समय उपस्थित अधिकारियों में से कोई एक बाक्स में से सहसा ही एक “डिस्क” निकालेगा और क्रम संख्या वाली सूची में तत्संबंधी नाम पुकारेगा जो फिर लोक सभा सचिवालय द्वारा प्राथमिकता सूची में दर्ज किया जायेगा। यह प्रक्रिया सभी नम्बर निकाले जाने तक अपनाई जायेगी। प्राथमिकता सूची पर आवास समिति के सभापति और लोक सभा सचिवालय के सबसे बड़े अधिकारी द्वारा, जो उस समय उपस्थित होगा, हस्ताक्षर किये जायेंगे।”

अनुबन्ध चार

(देखें, आवास संबंधी परिपत्र-मई, 2009 का पैरा 9)

बंगलों/फ्लैटों/होस्टल का कब्जा सौंपने/लेने की प्रक्रिया

बंगलों/फ्लैटों/होस्टलों का कब्जा सौंपना

- (एक) जब सदस्य को अतिथियों के ठहरने, विवाह के प्रयोजन के लिए प्राप्त अस्थायी आवास अथवा सर्वेंट क्वार्टर/गैरेज सहित अपना आवंटित स्थायी आवास छोड़ना हो, तो इस रिक्त आवास का कब्जा केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के पूछताछ कार्यालय अथवा संबंधित होस्टल के स्वागत अधिकारी, जैसा भी मामला हो, को सौंप दिया जाना चाहिये। जब तक ऐसे रिक्त आवास का कब्जा सदस्य नहीं दे देता तब तक वह आवास उसके पास ही माना जाएगा। तथ्यात्मक रूप से अथवा कानूनी तौर पर सदस्य के कब्जे के दौरान आवास में दी गई सरकारी सम्पत्ति की यदि कोई हानि अथवा क्षति होती है, तो उसके लिये सदस्य व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होगा।
- (दो) परिसर का कब्जा देने की प्रस्तावित तारीख और समय की सूचना केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग सेवा केन्द्र को पर्याप्त समय पूर्व दी जाएगी।
- (तीन) जिस सदस्य के नाम परिसर आवंटित है उसे यथासंभव स्वयं ही केन्द्रीय लोक निर्माण सेवा केन्द्र को परिसर का कब्जा सौंपना चाहिए। यदि सदस्य उस परिसर का कब्जा अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से सौंपना चाहता है तो परिसर का कब्जा सौंपने और फर्नीचर में कमी (यदि कोई हो) की रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करने के लिए प्रतिनिधि के अभिप्रमाणित हस्ताक्षर सहित, उसे प्राधिकृत करते हुए एक प्राधिकार पत्र भेजा जाना चाहिए।
- (चार) सदस्य को आवास खाली करने संबंधी पत्र जारी करने के लिए के०लो०नि० विभाग केन्द्र से संपर्क करने से पूर्व निम्नलिखित औपचारिकताओं का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए:
- (क) उन्हें नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् से विद्युत और पानी का कनेक्शन कटवा लेना चाहिये और कनेक्शन कटवाने के बाद विद्युत और जल प्रभार के अद्यतन भुगतान के संबंध में नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् से एक अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए।
- (ख) उन्हें एअर कंडीशनिंग प्रभाग, के०लो०नि०वि० से किराये पर लिये गये एअर कंडीशन, रेफ्रीजरेटर, कूलर, आदि वापस करने चाहिए और उन्हें बेबाकी प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए। उसी प्रकार गीजर और ब्लोअर आदि सहित विद्युत उपकरणों के संबंध में इलेक्ट्रिकल डिविजन, के०लो०नि०वि० से बेबाकी प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए।
- (ग) उन्हें के०लो०नि० विभाग से लिये गये फर्नीचर को संबंधित सेवा केन्द्र को वापस करना चाहिए और सेवा केन्द्र से इस बारे में इस आशय का प्रमाण पत्र प्राप्त करना चाहिए कि उन पर कोई राशि बकाया नहीं है। यदि फर्नीचर में किसी भी प्रकार की कमी का पता चलता है तो के०लो०नि० विभाग सेवा केन्द्र द्वारा इस संबंध में एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी जिस पर सदस्य को हस्ताक्षर करने होंगे और आवास खाली करते समय वह इसे के०लो०नि० विभाग के प्रतिनिधि को सौंपेगा।
- (पांच) उक्त औपचारिकताओं को पूरा करने के पश्चात् सदस्य सर्वेंट क्वार्टर और गैरेज सहित खाली किये गये फ्लैट/बंगला का कब्जा संबंधित के०लो०नि० विभाग सेवा केन्द्र को सौंपेगा।
- (छह) उक्त औपचारिकताएं पूरी करने के पश्चात् के०लो०नि० विभाग सेवा केन्द्र द्वारा आवास खाली किये जाने संबंधी रिपोर्ट जारी की जाएगी।

बंगलों/फ्लैटों/होस्टलों का कब्जा लेना

- (एक) जब किसी संसद सदस्य को कोई बंगला या फ्लैट या होस्टल आवास का आवंटन किया जाता है तो उसे केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के संबंधित पूछताछ कार्यालय और वेस्टर्न कोर्ट के मामले में वेस्टर्न कोर्ट/होस्टल के अधीक्षक को आवास में अपने आने की सूचना तीन दिन पूर्व देनी होगी।
- (दो) संसद सदस्य को स्वयं, या उसके द्वारा जारी प्राधिकार पत्र के साथ उसके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से, जिसके हस्ताक्षर संसद सदस्य द्वारा विधिवत अभिप्रमाणित किये जाएंगे, लोक सभा सचिवालय द्वारा जारी किये गये प्राधिकार पत्र के साथ परिसरों का कब्जा लेने एवं फर्नीचर आदि की सूची पर हस्ताक्षर करने हेतु संबंधित केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग सेवा केन्द्र से सम्पर्क करना होगा।

- (तीन) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग केन्द्र द्वारा कार्यालय के कार्य समय के दौरान आवंटी को सर्वेन्ट क्वार्टर और गैराज सहित खाली बंगलों/फ्लैटों (यदि आवंटित किया गया हो) का कब्जा दिया जाएगा।
- (चार) परिसर को रहने योग्य बनाने के लिए केवल नेमी कार्य, जैसे परिसर की सफेदी, पेंटिंग एवं सफाई आदि केन्द्रीय विभाग द्वारा किये जाएंगे।
- (पांच) केन्द्रीय विभाग को कोई अतिरिक्त निर्माण/फेरबदल करवाने हेतु मांग पत्र देने से पहले आवंटी द्वारा बंगला/फ्लैट का कब्जा प्राप्त कर लिया जाना चाहिए। किराये की देनदारी नेमी कार्य पूरे हो जाने के बाद तथा परिसर को रहने योग्य बना दिये जाने की तारीख से लागू होगी।
- (छह) अतिरिक्त कार्य/फेरबदल के किसी भी कार्य के लिए सदस्य द्वारा केन्द्रीय विभाग को एक मांग पत्र दिया जाएगा जो उक्त कार्य के लिए आकलन तैयार करेगा। उसे आवास-समिति की स्वीकृति के लिए अग्रप्रेषित करेगा। सदस्य के पूरे कार्यकाल के लिए कुल 75,000 रुपये की लागत तक का अतिरिक्त निर्माण/फेरबदल का कार्य आवास-समिति से स्वीकृति प्राप्त करने के बाद ही शुरू किया जाएगा। इस राशि से अधिक लागत का कार्य होने पर शहरी कार्य मंत्रालय की स्वीकृति लेकर किया जा सकेगा।
- (सात) सदस्य की लिखित मांगों पर केन्द्रीय विभाग सेवा केन्द्र पुराना फर्नीचर उपलब्ध कराएगा। यदि कोई सदस्य यह इच्छा व्यक्त करता है कि उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि को फर्नीचर जारी किया जाए तो उसे संबंधित केन्द्रीय विभाग सेवा केन्द्र को अपने फर्नीचर की आवश्यकता दर्शाने वाले पत्र के साथ एक प्राधिकार पत्र भेजना चाहिए जिसमें प्रतिनिधि के हस्ताक्षर को अभिप्रमाणित किया गया हो और उसे फर्नीचर प्राप्ति और वापसी की रसीद पर हस्ताक्षर करने के लिए प्राधिकृत किया गया हो। फर्नीचर की सूची पर संसद सदस्य द्वारा स्वयं, अथवा उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा।
- (आठ) नए फर्नीचर की आपूर्ति के लिए टिकाऊ एवं कम टिकाऊ वस्तुओं के लिए आवास-समिति द्वारा सदस्य के पूरे कार्यकाल के लिए अधिकतम 75,000 रुपये के लिए स्वीकृति दी जा सकती है। नए फर्नीचर की आपूर्ति आवास-समिति द्वारा आकलन को स्वीकृति की सूचना दिए जाने के बाद ही की जाएगी।
- (नौ) 75,000 रुपये मूल्य के फर्नीचर की मर्दें (टिकाऊ मर्दों के लिए 60,000 रुपये, कम टिकाऊ मर्दों के लिए 15,000 रुपये) किराया रहित दी जाएंगी। इस सीमा से अधिक लिए गए किसी भी फर्नीचर के लिए टिकाऊ मर्दों पर 1.2% प्रतिमाह और कम टिकाऊ मर्दों पर 2% प्रतिमाह की दर पर अतिरिक्त किराया प्रभारित किया जाएगा।

“सिंगल विंडो सिस्टम” के तहत विभिन्न केन्द्रीय विभाग के पूछताछ कार्यालयों में नई दिल्ली नगर पालिका/केन्द्रीय विभाग से संबंधित शिकायतें

सदस्य स्वास्थ्य, जलापूर्ति, सीवेज (जल मल), बागवानी और सिविल निर्माण कार्यों के संबंध में नई दिल्ली नगर पालिका/केन्द्रीय विभाग से संबंधित अपनी शिकायतें संसद सदस्यों के रिहायशी क्षेत्रों में स्थित निम्नलिखित केन्द्रीय विभाग के पूछताछ कार्यालयों में “सिंगल विंडो सिस्टम” के तहत दर्ज करा सकते हैं:—

केन्द्रीय विभाग के पूछताछ कार्यालय	दूरभाष सं०
नार्थ एवेन्यू सेवा केन्द्र	- 23093997, 23092891
साउथ एवेन्यू सेवा केन्द्र	- 23016977, 23015250
फिरोजशाह रोड सेवा केन्द्र	- 23389738, 23381866
सुनहरी बाग सेवा केन्द्र	- 23017631, 23018746
विट्ठलभाई पटेल हाऊस	- 23719780
एम०एस० फ्लैट्स, बी० के० एस मार्ग सेवा केन्द्र	- 23324084, 23739558

(दो) अपर्याप्त जल आपूर्ति, सीवरलाइनों के बंद होने, कूड़ा न हटाए जाने के संबंध में शिकायत नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् के नियंत्रण कक्ष को इन टेलीफोन नम्बरों पर की जानी चाहिए: 23743642, 23360683, 26870249 (बन्द सीवर लाइन), 23348300/301 (कूड़ा हटवाने के लिए)।

अनुबन्ध पांच

(देखें, आवास संबंधी परिपत्र—मई, 2009 का पैरा 9)

लोक सभा सदस्य आवास पूल से हुए आवंटन के बारे में किराए की जिम्मेदारी

(क) आवंटित आवास की स्वीकृति/कब्जा—

	अन्तर सत्रावधि के दौरान	सत्रावधि के दौरान
(एक) सदस्य द्वारा अलाटमेंट की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति देने की अवधि	अलाटमेंट पत्र जारी होने के 8 दिन के अन्दर	अलाटमेंट पत्र जारी होने के 5 दिन के अन्दर
(दो) अलाटमेंट स्वीकार करने पर सदस्य द्वारा आवास का कब्जा लेने की अवधि	अगले सत्र के आरम्भ से 3 दिनों के अन्दर	अलाटमेंट पत्र जारी होने के 8 दिन के अन्दर
(तीन) सदस्य को आवास परिवर्तन मिलने पर उसके एक आवास-स्थान से दूसरे आवास-स्थान में जाने के अवधि	-तदैव-	अगले सत्र के आरम्भ से 3 दिनों के अन्दर

(ख) तथापि यदि प्रस्तावित अवधि से अधिक दिन तक आवास-स्थान खाली रहता है, तो इसे प्रतीक्षा सूची में दर्ज अगले सदस्य, जिसे आवास नहीं मिला है, को अलाट किया जा सकता है।

(ग) परन्तु व्यक्तिगत मामलों में आवास-समिति अथवा आवास-समिति के सभापति द्वारा इन शर्तों में छूट दी जा सकती है।

(घ) किराए की जिम्मेदारी:

(एक) बंगले की तरह का आवास—जब किसी लोक सभा सदस्य को, जिसके पास कोई निवास-स्थान नहीं है, कोई आवास-स्थान अलाट किया जाता है और ऐसा अलाटमेंट उसके द्वारा विधिवत स्वीकार किया जाता है, तो बंगले की तरह का आवास होने की स्थिति में किराया देने की उसकी जिम्मेदारी सत्रावधि के दौरान अलाटमेंट जारी किये जाने के आठवें दिन से अथवा आवास ग्रहण करने की तारीख से, जो भी पहले हो, और यदि अन्तरसत्रावधि के दौरान अलाटमेंट किया गया हो, तो अगले सत्र के आरम्भ होने की तारीख से 3 दिनों के पश्चात् आरम्भ होगी।

(दो) आवास स्थान में परिवर्तन—जब किसी सदस्य को एक आवास-स्थान के बदले में दूसरा आवास-स्थान प्रार्थना करने पर दिया जाता है और इसे वह विधिवत स्वीकार कर लेता है तो आवास तथा टेलीफोन की सुविधाएं (संसद् सदस्य) नियम, 1956 (यथा संशोधित) के नियम 5 के परन्तुक के अधीन रहते हुए, इस नये आवास-स्थान का किराया, आदि देने की उसकी जिम्मेदारी कब्जा लेने की तारीख से चौथे दिने से आरम्भ होगी और उसे पुराने आवास-स्थान का अलाटमेंट आवास ग्रहण करने के चौथे दिन से, रद्द समझा जाएगा और जब तक कि पुराना आवास-स्थान पूर्णतया नहीं लौटा दिया जाता और खाली नहीं कर दिया जाता तब तक उसमें समयोपरान्त रहने के लिए बाजार दर से किराया लिया जायेगा।

(तीन) फ्लैट/हास्टल टाइप का आवास—सदस्य को लाइसेंस शुल्क मुक्त फ्लैट तथा होस्टल टाइप आवास आवंटित किए जाने पर यदि उसने उस आवास को समय पर खाली नहीं किया जो मूलतः उसके कब्जे में था, तो उसे निर्धारित नियमों के अंतर्गत उसके लिए बाजार दर से लाइसेंस शुल्क देना पड़ेगा अथवा यदि उसने उसके बदले में आवंटित आवास का समय पर कब्जा नहीं लिया तो उसे उसके लिए बाजार दर से लाइसेंस शुल्क देना पड़ेगा।

(चार) अतिरिक्त आवास स्थान—किसी सदस्य को दिये गये किसी भी अतिरिक्त आवास का किराया बाजार दर पर लिया जाएगा। (इसमें संसद् सदस्यों के फ्लैटों या वेस्टर्न कोर्ट में विवाह/अतिथियों के लिए अस्थायी आवंटन भी सम्मिलित है) अतिरिक्त सर्वेंट क्वार्टरों/गैराजों आदि के आवंटन को भी इसी प्रकार विनियमित किया जायेगा।

(पांच) अस्थायी आवास—यदि विट्ठलभाई पटेल हाउस, राज्य अतिथि गृह, वेस्टर्न कोर्ट होस्टल अथवा अन्यत्र ऐसे दिया गया कोई अस्थायी आवास स्थान सदस्य के कब्जे में है, जिसके किराये की प्रतिपूर्ति करने का दायित्व सरकार पर हो, तो सदस्य को आवंटित स्थायी आवास स्थान का कब्जा ले लिये जाने के बाद तत्काल उसे खाली करना होगा। यदि सदस्य उसे खाली नहीं करता है, तो सदस्य स्वयं ऐसे अस्थायी आवास-स्थान के किराये के भुगतान के लिये जिम्मेदार होगा।

(छह) आवास-स्थान का कब्जा लेने की तारीख उस दिन से मानी जायेगी जिस दिन केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा तैयार की गई कब्जा रिपोर्ट पर सदस्य अथवा सदस्य का प्राधिकृत प्रतिनिधि हस्ताक्षर करेगा।

अनुबंध छह

(देखें, आवास संबंधी परिपत्र—मई, 2009 का पैरा 14)

लोक सभा सदस्यों के रिहायशी आवास के आवंटन हेतु आवेदन-पत्र

1. सदस्य का नाम :
(मोटे अक्षरों में)
2. निर्वाचन क्षेत्र :
(मोटे अक्षरों में)
3. राज्य :
4. क्या सदस्य किसी निम्नलिखित पद पर रहा है—

		से	तक	कुल अवधि	
		वर्ष/माह	वर्ष/माह		
(एक) केन्द्र में केबिनेट स्तर के मंत्री	: हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(दो) केन्द्र में राज्य मंत्री	: हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(तीन) केन्द्र में उपमंत्री/संसदीय सचिव	: हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(चार) मुख्य मंत्री	: हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(पांच) राज्यपाल	: हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(छह) लोक सभा अध्यक्ष	: हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(सात) लोक सभा उपाध्यक्ष	: हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(आठ) अध्यक्ष, राज्य विधानमंडल	: हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(नौ) उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश/न्यायाधीश	: हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(दस) राजनयिक (पद)	: हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(ग्यारह) उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश/न्यायाधीश	: हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(बारह) संसद/राज्य विधान मंडल में मान्यता प्राप्त विपक्ष के नेता	: हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(तेरह) राज्य में केबिनेट स्तर के मंत्री	: हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(चौदह) राज्य में राज्य मंत्री	: हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
(पन्द्रह) राज्य में उपमंत्री/संसदीय सचिव	: हां <input type="checkbox"/> नहीं <input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

5. सदस्य लोक सभा/राज्य सभा के लिए कितनी बार निर्वाचित हुआ है— कुल कार्यकाल
6. (एक) गत लोक सभा के दौरान आवास का ब्यौरा, यदि कोई उनके पास था :

- (दो) क्या मिला हुआ आवास वापस दिया था या अभी भी कब्जे में है— :
- (तीन) यदि खाली करना है तो कृपया तारीख बतायें— :
7. रिहायशी आवास क्षेत्र का वरीयता क्रम अर्थात् लोक सभा पूल से अपेक्षित आवासीय क्षेत्र— :
- (बशर्ते कि पात्रता हो/आवास उपलब्ध हो)
- पहली वरीयता :
- दूसरी वरीयता :
- तीसरी वरीयता :
8. क्या संसद सदस्य या उसके परिवार के किसी सदस्य का संसद भवन से 6 मील की परिधि में कोई अपना मकान है, और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है—

9. सदस्य द्वारा प्रमाण-पत्र—

मैं प्रमाणित करता हूँ कि

- (एक) मेरे द्वारा दिया गया उपरोक्त ब्यौरा मेरी जानकारी और विश्वास के अनुसार पूर्णतया सत्य है।
- (दो) मैंने वे नियम जिनके अधीन संसद सदस्यों को लोक सभा पूल से आवास आबंटित किए जाते हैं, पढ़ लिए हैं और मैं उनका पालन करूंगा।
- (तीन) आवेदित आवास मेरे तथा मेरे परिवार के सदस्यों के प्रयोग के लिए चाहिये।
- (चार) मैं आवास समिति के सभापति की लिखित रूप में पूर्व अनुमति के बिना अपना आवास किसी संसद सदस्य अथवा अन्य व्यक्ति को न तो किराये पर दूंगा और न ही साझेदारी में रहूंगा।
- (पांच) मैं वचन देता हूँ कि मैं आवास समिति द्वारा नियमित आधार पर आबंटित स्थाई आवास के मिल जाने के तुरन्त बाद अपना अस्थाई आवास खाली कर दूंगा।

दिनांक.....

(सदस्य का हस्ताक्षर)

सेवा में,

पहचान पत्र संख्या.....

निदेशक,
लोक सभा सचिवालय,
नई दिल्ली-110001

नोट: (i) सदस्य द्वारा दी गई प्राथमिकता के अनुसार एक बार आवास समिति द्वारा आबंटित आवास तब तक नहीं बदला जायेगा जब तक सभी संसद सदस्यों को नियमित आवास आबंटित न हो जाये।

(ii) लोक सभा सदस्य पूल के आवास के ब्यौरे के लिए कृपया आवास संबंधी परिपत्र को देखें।

अनुबंध सात

(देखें, आवास संबंधी परिपत्र—मई, 2009 का पैरा 15)

लोक सभा सदस्यों को रिहायशी स्टाफ क्वार्टरों के आवंटन के लिए आवेदन-पत्र

सेवा में,

अवर सचिव,
सदस्य सेवा शाखा,
लोक सभा सचिवालय,
संसदीय सौध,
नई दिल्ली-110001

विषय—स्टाफ क्वार्टर का आवंटन

महोदय/महोदया,

मेरी आपसे प्रार्थना है कि कृपया मुझे मेरे नौकर के प्रयोगार्थ एक स्टाफ क्वार्टर अलाट किया जाए। मेरे नौकर के विषय में विवरण नीचे दिया गया है:—

1. घरेलू स्टाफ/ड्राइवर संबंधी ब्यौरा

(क) नाम आयु वर्ष

(ख) पिता का नाम (ग) फोटो पहचान पत्र सं०.....

सदस्य द्वारा
सत्यापित नौकर
का फोटोग्राफ

(कृपया राशन कार्ड/ड्राइविंग लाइसेंस/लो०स०स० अथवा किसी अन्य नियोक्ता एजेन्सी द्वारा जारी पहचान पत्र की प्रति संलग्न करें)

(घ) स्थायी पता:

मोहल्ला

डाकखाना

जिला

राज्य

(ङ) पहचान के लिए

कोई दो प्रत्यक्ष चिह्न

(च) स्टाफ का सामान्य चित्रण जिससे

अनजान व्यक्ति स्टाफ को पहचान सके

2. जिन अन्य व्यक्तियों/नौकर/स्टाफ/ड्राइवर के परिवार के सदस्यों के लिए आवास की आवश्यकता है उनके कुटुम्ब का ब्यौरा:—

क्रमांक	नाम	आयु	संबंध
---------	-----	-----	-------

3. क्षेत्र/मंजिल की वरीयता

4. सदस्य द्वारा प्रमाणित:—

मैं एतद् द्वारा यह प्रमाणित करता हूँ कि ऊपर दिया गया अतिथि(यों) संबंधी विवरण मेरे संज्ञान तथा विश्वास के अनुसार पूर्णतया सच है। श्री जिनके लिए मुझे एक स्टाफ क्वार्टर की आवश्यकता है, मेरे नियमित घरेलू स्टाफ/मेरी कार संख्याके ड्राइवर हैं। मेरी बारी आने पर जब मुझे स्टाफ क्वार्टर अलाट कर दिया जाएगा, तो मैं उसका उपयोग अपने उपरोक्त घरेलू स्टाफ/ड्राइवर (और उसके कुटुम्ब) के लिए ही, निवास स्थान के रूप में करूंगा, अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं।

हस्ताक्षर

संसद सदस्य

संसद सदस्य का नाम.....

(मोटे अक्षरों में)

निर्वाचन क्षेत्र

पहचान पत्र संख्या.....

-
- नोट: 1. जिस मोहल्ले में सदस्य को आवास आवंटित किया जाता है वहां उपलब्ध होने पर ही स्टाफ क्वार्टर आवंटित किया जायेगा।
2. यदि सभी अपेक्षित उपरोक्त विवरण नहीं दिए गए हैं तो उस आवेदन-पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा।

अनुबंध आठ

(देखें, आवास संबंधी परिपत्र—मई, 2009 का पैरा 15)

लोक सभा सदस्यों को मोटर गराज के आवंटन के लिए प्रार्थना-पत्र

सेवा में,

अवर सचिव,
सदस्य सेवा शाखा,
लोक सभा सचिवालय,
संसदीय सौध,
नई दिल्ली-110001

विषय:-मोटर गराज का आवंटन

महोदय/महोदया,

मेरी आपसे प्रार्थना है कि कृपया मुझे मेरे फ्लैट/बंगला संख्या.....के निकट एक मोटर गराज आवंटित की जाए। मेरी कार के विषय में विवरण नीचे दिया गया है:—

1. रजिस्ट्रेशन संख्या

2. में पंजीकृत के नाम पंजीकृत है।

3. कार का नाम

4. मैं प्रमाणित करता हूँ कि:—

(एक) ऊपर उल्लिखित कार मेरे स्वामित्व में है,

(दो) गराज जब मुझे आवंटित कर दी जायेगी तो मैं उसका उपयोग अपनी कार रखने के लिए ही करूंगा, अन्य किसी भी प्रयोजन के लिए नहीं, और

(तीन) आवश्यकता नहीं होने पर गराज छोड़ दी जायेगी।

5. ड्राइवर का नाम(स्वयं चलाने की स्थिति में लागू नहीं)

लाइसेन्स सं० किस तिथि तक वैध है

भवदीय

हस्ताक्षर

दिनांक

संसद सदस्य का नाम.....

स्थान

निर्वाचन क्षेत्र.....

पहचान पत्र संख्या.....

- नोट:
1. सदस्य से अनुरोध है कि वह अपने नाम में पंजीकृत वाहन से संबंधित रजिस्ट्रेशन प्रमाण-पत्र की एक फोटो प्रति संलग्न करे।
 2. जिस मोहल्ले में सदस्य को निवास स्थान दिया जाता है वहां मोटर गराज उपलब्ध होने पर ही अलाट की जायेगी।

अनुबंध नौ

(देखें, आवास संबंधी परिपत्र—मई, 2009 का पैरा 15)

लोक सभा सदस्यों को दिल्ली और नई दिल्ली में प्रशीतकों (रेफ्रीजरेटर्स) तथा एयर-कंडीशनरों के आवंटन के लिए प्रार्थना-पत्र

1. नाम (मोटे अक्षरों में)
2. वर्तमान निवास-स्थान
3. क्या निवास-स्थान में निम्नलिखित उपलब्ध है:
(एक) पावर प्लग
(दो) पावर मीटर
4. प्रशीतक/एयर कंडीशनरों की सं० और क्षमता
5. ए०सी०/प्रशीतक कितनी अवधि के लिए चाहिए—
(एक) सम्पूर्ण वर्ष के लिए
अथवा
(दो) अल्पकाल के लिए (अवधि लिखिये)
6. क्या पिछले वर्ष कोई प्रशीतक/ए० सी० दिया गया था? यदि हां, तो कृपया यह बतायें कि जो प्रशीतक/ए० सी० दिया गया था क्या वह—
(एक) पिछले संपूर्ण वर्ष के लिए था
अथवा
(दो) अल्पकाल (अवधि) के लिए था
7. जो प्रशीतक/ए० सी० दिया गया था उसकी सं० और क्षमता कितनी थी?
(यदि ज्ञात हो तो आकार बतायें)
8. स्थायी पता

मैं नियमानुसार किराया/ह्रास प्रभार, यदि कोई हो, का भुगतान कर दूंगा।

दिनांक

सदस्य के हस्ताक्षर

निर्वाचन क्षेत्र

पहचान पत्र संख्या

सेवा में,

अवर सचिव
सदस्य सेवा शाखा
लोक सभा सचिवालय
संसदीय सौध,
नई दिल्ली-110001

अनुबंध दस

(देखें, आवास संबंधी परिपत्र—मई, 2009 का पैरा 16)

(दो प्रतियों में भरा जाए)

आवास और टेलीफोन सुविधाएं (संसद सदस्य) (संशोधन) नियम, 1956 (यथा संशोधित) के अंतर्गत
संसद सदस्य को पहला मोबाइल फोन देने हेतु आवेदन पत्र

दिनांक:

प्रेषक

....., संसद सदस्य
(नाम स्पष्ट अक्षरों में)

सेवा में,

अवर सचिव, (सदस्य सेवा शाखा)
लोक सभा सचिवालय,
नई दिल्ली-110001

महोदय/महोदया,

कृपया मुझे संसद सदस्य के रूप में प्रयोग करने हेतु राष्ट्रीय रोमिंग सुविधा के साथ दिल्ली में एक मोबाइल फोन (एमटीएनएल*) प्रदान किया जाए।

अथवा

एमटीएनएल, दिल्ली से लिया गया मेरा मौजूदा मोबाइल सं. है। यह मेरे नाम पर है जिसे दिल्ली में संसद सदस्य के रूप में प्रयोग करने हेतु राष्ट्रीय रोमिंग सुविधा के साथ प्राइवेट (निजी) कनेक्शन से संसद सदस्य कनेक्शन में बदल दिया जाए।

2. मैं उपर्युक्त टेलीफोन (टेलीफोनों) के संबंध में आवास और टेलीफोन सुविधाएं (संसद सदस्य) (संशोधन) नियम, 1956 (यथा संशोधित) के अंतर्गत देय भुगतान से अधिक दूरसंचार, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड और बीएसएनएल के बकाए का पूरा भुगतान करने का वचन देता हूँ।

भवदीय,

संसद सदस्य

निर्वाचन क्षेत्र

पहचान पत्र संख्या

*अपेक्षित प्रपत्र एल ओ (मंटेनॅन्सिं) कमरा संख्या 520, संसदीय सौध, नई दिल्ली से प्राप्त करें।

अनुबंध ग्यारह

(देखें, आवास संबंधी परिपत्र—मई, 2009 का पैरा 16)

(दो प्रतियों में भरा जाए)

आवास और टेलीफोन सुविधाएं (संसद सदस्य), 1956 (यथा संशोधित) के अंतर्गत संसद सदस्य को दूसरा मोबाइल फोन देने हेतु आवेदन-पत्र

प्रेषक

दिनांक.....

....., संसद सदस्य

(नाम मोटे अक्षरों में)

सेवा में

अवर सचिव,
सदस्य सेवा शाखा,
लोक सभा सचिवालय,
नई दिल्ली।

महोदय/महोदया,

कृपया मुझे मेरे मौजूदा एम०टी०एन०एल० दिल्ली के डाल्फिन मोबाइल कनेक्शन सं०.....के अतिरिक्त, निम्नलिखित प्रदान करें:

विकल्प-एक

कृपया मुझे दिल्ली/नई दिल्ली में राष्ट्रीय रोमिंग सुविधा के साथ एम०टी०एन०एल० दिल्ली का दूसरा मोबाइल डाल्फिन कनेक्शन के साथ प्रदान करें।

अथवा

विकल्प-दो

कृपया मुझे संसद सदस्य के रूप में प्रयोग करने के लिए राष्ट्रीय रोमिंग सुविधा के साथ बी०एस०एन०एल० का दूसरा मोबाइल फोन कनेक्शन मेरे निर्वाचन क्षेत्र.....जिला.....राज्य..... से प्रदान करें।

अथवा

विकल्प-तीन

कृपया मुझे मेरे मौजूदा "पोस्ट पेड" एम०टी०एन०एल०/बी०एस०एन०एल० कनेक्शन सं०.....(जो किसी और के नहीं बल्कि केवल मेरे नाम पर है) को दिनांक..... से संसद सदस्य कोटा में परिवर्तित कर दिया जाए तथा उस पर राष्ट्रीय रोमिंग सुविधा प्रदान की जाए।

2. मैं उपर्युक्त टेलीफोन (टेलीफोनों) के संबंध में आवास और टेलीफोन सुविधाएं (संसद सदस्य) (संशोधन) नियम, 1956 (यथा संशोधित) के अंतर्गत देय भुगतान से अधिक दूरसंचार, एम०टी०एन०एल० और बी०एस०एन०एल० के बकाए का पूरा भुगतान करने का वचन देता हूं।

भवदीय,

संसद सदस्य

पहचान पत्र संख्या

निर्वाचन क्षेत्र

अनुबंध बारह

(देखें, आवास संबंधी परिपत्र—मई, 2009 का पैरा 16)

(दो प्रतियों में भरा जाए)

आवास और टेलीफोन सुविधाएं (संसद सदस्य) नियम, 1956 (यथा संशोधित) के अंतर्गत संसद सदस्य के प्राथिक निवास स्थान पर टेलीफोन लगाने हेतु आवेदन-पत्र

प्रेषक

दिनांक.....

....., संसद सदस्य
(नाम स्पष्ट अक्षरों में)

सेवा में,

अवर सचिव,
सदस्य सेवा शाखा,
लोक सभा सचिवालय,
नई दिल्ली।

महोदय/महोदया,

कृपया मुझे आवास और टेलीफोन सुविधाएं (संसद सदस्य) नियम, 1956 (यथा संशोधित) के अंतर्गत निम्नलिखित विवरण के अनुसार नया टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किया जाए/टेलीफोन सं.....को मेरे नाम पर लगा हुआ माना जाए:—

(एक) फोन लगाए जाने का स्थान:

मकान संख्या.....

कस्बा/ग्राम.....

तालुका/तहसील.....

जिला.....

राज्य.....

(दो) निकटतम टेलीफोन एक्सचेंज का नाम.....

(तीन) निकटतम एक्सचेंज से सड़क द्वारा अनुमानित दूरी.....

(चार) मेरे निर्वाचन क्षेत्र/स्थायी निवास अथवा कार्यालय में मेरे नाम पर पहले से ही लगाए गए किसी अन्य टेलीफोन का विवरण.....

(पांच) उपरोक्त स्थान मेरा प्राथिक निवास स्थान है/उस राज्य के भीतर स्थित है जिसमें मेरा निर्वाचन क्षेत्र है अथवा उस राज्य के भीतर है जहां मैं रहता हूँ।

2. मैं उपर्युक्त टेलीफोन के संबंध में आवास और टेलीफोन सुविधाएं (संसद सदस्य) नियम, 1956 (यथा संशोधित) के अंतर्गत देय भुगतान से अधिक दूरसंचार, एम०टी०एन०एल० और बी०एस०एन०एल० संबंधी पूरे बकाये का भुगतान करने का वचन देता हूँ।

भवदीय,

संसद सदस्य

निर्वाचन क्षेत्र

पहचान पत्र संख्या

अनुबंध तेरह

(देखें, आवास संबंधी परिपत्र—मई, 2009 का पैरा 16)

(दो प्रतियों में भरा जाए)

आवास और टेलीफोन सुविधाएं (संसद सदस्य) नियम, 1956 (यथा संशोधित) के अंतर्गत संसद सदस्य के दिल्ली/नई दिल्ली स्थित आवास पर टेलीफोन लगाने हेतु आवेदन-पत्र

प्रेषक

दिनांक.....

....., संसद सदस्य

(नाम स्पष्ट अक्षरों में)

सेवा में

अवर सचिव,
सदस्य सेवा शाखा,
लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली।

महोदय/महोदया,

कृपया मुझे आवास और टेलीफोन सुविधाएं (संसद सदस्य) नियम, 1956 (यथा संशोधित) के अंतर्गत निम्नलिखित पते पर नया टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किया जाए/पहले से लगे टेलीफोन नं°.....को मेरे नाम पर कर दिया जाए जो "एस्०टी०डी० के बिना/एन०एस्०डी० के साथ/एन०एस्०डी० और आई०एस्०डी० दोनों के साथ हो:-

.....
नई दिल्ली/दिल्ली

2. टेलीफोन दिनांक.....को.....बजे से.....बजे तक किसी भी समय लगा दिया जाए।

3. मैं उपर्युक्त टेलीफोन (टेलीफोनो) के संबंध में आवास और टेलीफोन सुविधाएं (संसद सदस्य) (संशोधन) नियम, 1956 (यथा संशोधित) के अंतर्गत देय भुगतान से अधिक दूरसंचार, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड और बी०एस्०एन्०एल्० के बकाए का पूरा भुगतान करने का वचन देता हूँ।

संसद सदस्य

निर्वाचन क्षेत्र

पहचान पत्र संख्या

अनुबंध चौदह

(देखें, आवास संबंधी परिपत्र—मई, 2009 का पैरा 16)

(दो प्रतियों में भरा जाए)

आवास और टेलीफोन सुविधाएं (संसद सदस्य) नियम, 1956 (यथा संशोधित) के अंतर्गत संसद सदस्य के निवास-स्थान पर तीसरा टेलीफोन कनेक्शन लगाने हेतु आवेदन-पत्र

प्रेषक

दिनांक.....

....., संसद सदस्य

(नाम स्पष्ट अक्षरों में)

सेवा में,

अवर सचिव,
सदस्य सेवा शाखा,
लोक सभा सचिवालय,
नई दिल्ली।

महोदय/महोदया,

कृपया मुझे निम्न में से किसी एक स्थान पर इंटरनेट कनेक्शन हेतु एक नया टेलीफोन कनेक्शन प्रदान करें:

- (क) मेरे दिल्ली या नई दिल्ली आवास में स्थित कार्यालय में; अथवा
- (ख) मेरे प्राथिक निवास स्थान पर; अथवा
- (ग) एक ऐसे चुने हुए स्थान पर जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र या राज्य में स्थित है; अथवा
- (घ) जिस राज्य में मैं रहता हूं;

2. आवास और टेलीफोन सुविधाएं (संसद सदस्य) नियम, 1956 (यथा संशोधित) के अंतर्गत मेरा विवरण निम्नलिखित है:-

- (एक) फोन लगाए जाने का स्थान:
- | |
|---------------------|
| मकान सं०..... |
| कस्बा/गांव..... |
| ताल्लुका/तहसील..... |
| जिला..... |
| राज्य..... |

(दो) निकटतम दूरभाष केन्द्र का नाम

(तीन) निकटतम एक्सचेंज से सड़क द्वारा अनुमानित दूरी

(चार) उक्त स्थान उपर्युक्त (क), (ख), (ग), (घ) हैं

3. मैं उपर्युक्त टेलीफोन के संबंध में आवास और टेलीफोन सुविधाएं (संसद सदस्य) नियम, 1956 (यथा संशोधित) के अंतर्गत देय भुगतान से अधिक दूरसंचार, एमटीएनएल और बीएसएनएल संबंधी पूरे बकाये का भुगतान करने का वचन देता हूं।

भवदीय,

संसद सदस्य

पहचान पत्र संख्या

निर्वाचन क्षेत्र

अनुबंध पंद्रह
(देखें, आवास संबंधी परिपत्र—मई, 2009 का पैरा 16)

(दो प्रतियों में भरा जाए)

आवास और टेलीफोन सुविधाएं (संसद सदस्य), 1956 (यथा संशोधित) के अंतर्गत संसद सदस्य के टेलीफोन कनेक्शन पर ब्राडबैंड इंटरनेट सुविधा प्रदान करने हेतु आवेदन-पत्र

प्रेषक

दिनांक.....

....., संसद सदस्य
(नाम स्पष्ट अक्षरों में)

सेवा में,

अवर सचिव,
सदस्य सेवा शाखा,
लोक सभा सचिवालय,
नई दिल्ली।

महोदय/महोदया,

कृपया मुझे आवास और टेलीफोन सुविधाएं (संसद सदस्य) नियम, 1956 (यथा संशोधित) के अंतर्गत टेलीफोन सं०..... पर ब्राडबैंड इंटरनेट सुविधा प्रदान करें:-

- (क) मेरे दिल्ली या नई दिल्ली आवास में स्थित कार्यालय पर; या
- (ख) मेरे प्राथिक निवास स्थान पर; या
- (ग) एक ऐसे चुने हुए स्थान पर जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र या राज्य में स्थित है; या
- (घ) जिस राज्य में मैं रहता हूँ उसमें निम्न विवरणों के अनुसार किसी स्थान पर।

फोन और उस स्थान का विवरण जहां ब्राडबैंड इंटरनेट सुविधा चाहिए:-

फोन संख्या.....
मकान सं०
कस्बा/गांव
ताल्लुका/तहसील
जिला.....
राज्य.....

(एक) निकटतम टेलीफोन एक्सचेंज का नाम.....

(दो) निकटतम एक्सचेंज से सड़क द्वारा अनुमानित दूरी.....

2. मैं वर्तमान लैंडलाइन कनेक्शन पर दी गई ब्राडबैंड इंटरनेट सुविधा के प्रावधान हेतु निर्धारित निबन्धन एवं शर्तों का पालन करने का वचन देता हूँ।

3. मैं उपर्युक्त ब्राडबैंड कनेक्शन के संबंध में आवास और टेलीफोन सुविधाएं (संसद सदस्य) नियम, 1956, (यथा संशोधित) के अंतर्गत यथा देय, 1500 रु० से अधिक बकाए का पूरा भुगतान दूरसंचार, एम०टी०एन०एल० और बी०एस०एन०एल० को करने का वचन देता हूँ।

भवदीय,

संसद सदस्य

पहचान पत्र संख्या

निर्वाचन क्षेत्र

No. F/30/4/09/MS
LOK SABHA SECRETARIAT
(M.S. BRANCH)

PARLIAMENT HOUSE ANNEXE
NEW DELHI-110001
Dated the.....May, 2009

From

BRAHMDUTT
JOINT SECRETARY

To

ALL MEMBERS OF LOK SABHA

Subject: Allotment of residential accommodation to Members of 15th Lok Sabha.

Sir/Madam,

I am directed to welcome you and address you on the subject noted above and to request whether you desire to apply for a Member's residence for the 15th Lok Sabha constituted on..... A Statement showing the residences which are meant for allotment to the Members of Parliament is enclosed. (*Annexure-I*).

2. As the residences in Lok Sabha Members Pool of Houses may not be vacated by the retiring Members of 14th Lok Sabha in time for allotment to Members of 15th Lok Sabha, arrangements have been made for stay of Members temporarily in Vithalbhai Patel House/State Guest Houses/Bhawans, etc. owned by the State Governments in New Delhi in single suites free of licence fee till such time regular accommodation is made available to each of them. *However, Members will be liable to pay charges for food and other additional services including charges of telephone etc.* in State Guest Houses, etc. directly to the authorities concerned. The licence fee in respect thereof is paid by the Directorate of Estates, Ministry of Urban Development, Government of India for the period of transit accommodation upto the date of habitability of regular accommodation allotted to the Members. Member is liable to pay for overstay in transit accommodation or if a Member needs additional suites, he/she is liable to pay for the same direct to the State Guest House/Bhawan Authorities.

3. On the request of the Members, MTNL, will install a temporary telephone connection in the transit accommodation and the telephone calls made during stay in Guest Houses shall be adjusted against the total free calls admissible during a year under 'The Housing and Telephone Facilities (Members of Parliament) Rules, 1956' as amended up to date.

Facilities of Housing etc. to Members

4. Members of Parliament are allotted following types of accommodation on regular basis *i.e.*

- (i) Hostel type accommodation;
- (ii) Flat type accommodation; and
- (iii) Bungalows.

in accordance with the criteria to be laid down by the House Committee, Lok Sabha after its constitution in respect of allotment to be made from the Lok Sabha Pool of residences.

5. As per provision made in The Housing and Telephone Facilities (Members of Parliament) Rules, 1956 (as amended) framed under 'The Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament Act, 1954 (as amended),' Hostel/flat type accommodation is allotted to Members without payment of licence fee. Eligible Members allotted bungalows as per criteria laid down by the House Committee are liable to pay licence fee at normal rate (as applicable to MPs without any rebate) @Rs. 105/-per month. In case, there is an office block in the bungalow, additional rent would be payable.

6. In Vithalbhai Patel House a Member has the option, subject to availability, to take either one double and a single suite or three single suites as regular allotment. As the demand for the rooms in and Vithalbhai Patel House is also likely to

be more than the accommodation available, you are requested to indicate your 2nd and 3rd preferences for alternative accommodation.

7. Other facilities of Housing, etc. available to Members are mentioned at *Annexure-II*.

8. The general principles to be followed in allotting residences to Members are given in *Annexure-III*.

9. Procedure for handing/taking over of Accommodation allotted under Lok Sabha MPs' Pool and rental liability thereon are given at *Annexures-IV&V*.

10. Recovery of rent and other charges will normally be made from Member's Salary bills. Before, the occupation of a residence, Member will be required to sign contract in respect of the following matters *inter-alia*:—

- (i) That the allotment is subject to Member's agreeing to pay all the Government dues from time to time either by deduction from his/her Salary Bills or T.A. and D.A. or in cash. In case of his/her failure to make payments when due, the tenancy will be liable to be cancelled forthwith with consequent eviction.
- (ii) Subletting/Sharing—Member will not sublet to, or share the accommodation with any person whether a Member of Parliament or any other person without prior permission in writing from the Chairman of the House Committee of Lok Sabha.
- (iii) Member will, on no account whatsoever, sublet or share the accommodation with any member of the staff of Parliament or any Government Servant.
- (iv) Such other terms as the maintenance of sanitation, proper preservation of plants, etc., as the rules may provide from time to time.

11. It is specifically brought to Member's notice that the accommodation allotted to him/her, is primarily intended for Member and the member and the members of his/her family only, and under no circumstances will subletting or allowing the unauthorized persons to stay in the accommodation be permitted. A family shall include wife/husband, as the case may be, and children, step children, legally adopted children, parents, brothers or sisters as ordinarily reside with and are dependent on the Member.

12. If it comes to the notice of the Government authorities that a Member had sublet his/her accommodation or allowed any unauthorized person to stay in the residence, staff quarter and the garage allotted to him/her without the permission in writing of the Chairman of the House Committee of Lok Sabha, whether during his/her presence at or absence from Delhi, the matter will be reported to the Speaker, Lok Sabha for such action as he may consider necessary.

13. (i) Members of Lok Sabha or their families can retain Government Accommodation for a maximum period of one month after their retirement, resignation/removal, or otherwise on ceasing to be Member of Lok Sabha on payment of the same rent, if any, which they were paying immediately before the occurrence of any of the events mentioned above.
- (ii) In the event of death of a Member, the family of the late Member can retain the Government accommodation for a period of six months from the date of demise on payment of concessional rent, if any, as was being charged prior to the event.

14. Members are requested to send their application in the form attached to this Accommodation Circular (*Annexure-VI*). When applying for accommodation, two or more preferences may kindly be indicated to facilitate the House Committee to decide the allotment. However, the allotment of preferred accommodation can not be guaranteed.

15. *Allotment of Staff Quarters, Garages, Air-conditioners, Refrigerators, etc.*—Those Members who require ACs, refrigerators, motor garages and staff quarters may apply on the prescribed forms (*Annexure-VII to IX*) obtainable from the Members, Services Branch, Lok Sabha Secretariat, Parliament House Annexe. There is, however, a shortage of staff quarters and garages and it may not, therefore, be possible to meet the demands of all Members in this respect. Allotment of motor garage is basically made on production of photo-copy of registration certificate of the vehicle in Member's own name. Allotment of ACs, refrigerators, garages and staff quarters will be made strictly according to the date of application and under direction of the Chairman, House Committee, if necessary.

16. *Telephone Facilities*—Under The Housing and Telephone Facilities (Members of Parliament) Rules, 1956 (as amended), a Member is entitled for total three landline telephone connections and two mobile connections in New Delhi and in their constituency or in usual place of residences. A Member can avail total 1,50,000 free local calls on all these telephone connections annually. Besides, a Member can avail a broadband connection worth Rs. 1500 p.m. free of charge. Prescribed application forms for applying telephone facilities are given at *Annexure—X to XV*.

17. A reply to this letter is requested by..... 2009 otherwise it will be presumed that you do not require any Accommodation and the Accommodation Sub-Committee/Lok Sabha Secretariat will proceed with allotment of accommodation for such Members whose requests are received by this date. If postal reply is not likely to reach in time Intimation may be sent telegraphically/fax.

Note: All requests from Members for residential accommodation received in the Lok Sabha Secretariat prior to the issue of this Circular will not ordinarily be taken into consideration. Members are therefore, requested to apply afresh in reply to this Circular on the prescribed forms.

Yours faithfully,

Sd/-
BRAHMDUTT,
JOINT SECRETARY.

ANNEXURE I

(Reference para 1 of Accommodation Circular—May, 2009)

**STATEMENT OF ACCOMMODATION AVAILABLE FOR ALLOTMENT TO MEMBERS OF PARLIAMENT FROM
LOK SABHA MPs POOL**

BUNGALOWS AND FLATS

Sl. Accommodation No.	Total Unit
1. Bungalows	161
2. Twin Flats-North Avenue	23
3. Twin Flats-South Avenue	24
4. Single Flats-North Avenue	123
5. Single Flats-South Avenue	89
6. Single Flat-Meena Bagh	21
7. M.S. Flats-BKS Marg	39
8. Single Flat-Pandara Park	1
9. Single Flat-Rabindra Nagar	1
10. Single Flat-Tilak Lane	2
11. *V.P. House (Hostel Type Accommodation) (Single-68 and Double-25) (Treated as 39 units of Single Regular Accommodation) + (one spare Single suite)	39
Total	523

* V.P. House - 1 Double + 1 Single or 3 Single = 1 Regular unit

68 Single }
25 Double } = 39 Regular Unit + 1 Spare

STAFF QUARTERS AND MOTOR GARAGES

Sl. Area No.	Total Unit of Staff Quarter	Total Unit of Motor Garage
1. North-Avenue (old) (N-Block)	109 20	34 24
2. South Avenue (old) (S-Block)	95 5	31 12
3. V.P. House	33	15
4. Ferozeshah Road	42	10
5. Canning Lane	1	4
6. Dr. R.P. Road	15	2
7. Rabindra Nagar	Attached	1
8. Meena Bagh	Attached	17
9. Western Court Hostel (B-Block) New Block	3 5	—
Total	320	150

AREA-WISE DETAILS OF BUNGALOWS

Sl. Area No.	Total Unit	Bungalow Nos.	Category
1. Ashoka Road	5	16	VIII
		34, 42, 44, 50	V
2. Atul Grove Road	1	30A	VI
3. Balwant Rai Mehta Lane	5	1, 5, 7, 11A, 23	VII
4. Bishambar Dass Marg	9	2, 4, 8, 14, 1, 3, 5, 7, 9	VI
5. Canning Lane	13	3, 5, 9, 15, 17, 19, 20, 25, 27, 29, 30, 40, 42	VI
6. Copernicus Lane	1	20	VIII
7. Ferozeshah Road	24	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 18, 23, 25, 31, 33	VI
		12-A, 12-C, 12-D, 13-A, 13-E, 14-B, 14-C, 14-E, 16-A	V
8. Gurdwara Rakabganj Road	8	2, 5, 6, 8, 18, 19, 22, 24	VI
9. Humayun Road	3	C-1/7, C-1/20*(C-1/2)	VI
10. Harish Chandra Mathur Lane	4	1, 3, 7, 9	VI
11. Janpath	8	14, 16, 20, 22* (13 (15A), 17, 19 7-B	VII
12. Jantar Mantar	1	1	VII
13. Kamraj Lane	3	2, 6, 7	VII
14. Lodhi Estate	6	7, 8-A, 17, 64, 81, 85	VII
15. Lodhi Garden	1	C-1/13	V
16. Mahadev Road	12	3, 4, 8, 11, 14, 16, 18, 20, 22, 26, 28, 32	V
17. Mathura Road	2	AB-13, AB-18	VII
18. Pandara Park	6	CI/2, CI/15, CI/16, CI/19, CI/20, CI/36	VI
19. Pandara Road	1	AB-14	VII
20. Pt. Pant Marg	6	2, 7, 9, 10, 11-A, 12	VI
21. Rajendra Prasad Road	7	6, 12, 14, 18, 20, 22, 24	VI
22. Safdarjung Lane	1	*(12)	VII
23. Safdarjung Road	1	*(7)	VII
24. Shahjahan Road	4	AB-79, AB-83, AB-90, AB-91	VII
25. South Avenue Lane	1	2	VII
26. Teen Murti Lane	4	2, 6, 13, 14	VII
27. Teen Murti Marg	1	12	VII

*Not available for allotment.

Sl. Area No.	Total Unit	Bungalow Nos.	Category
28. Telegraph Lane	1	4-A	VI
29. Talkatora Road	5	2-A, 4, 5, 8, 9	VI
30. Talkatora Lane	1	1-A	VI
31. Tilak Marg	1	AB-17	VII
32. Tilak Lane	2	C-I/7, C-I/10,	VI
33. Tughlak Lane	1	12	VIII
34. Windsor Place	9	6,11,12, 12-A, 14, 17,18, 19, 20	VI
35. Willingdon Crescent	1	20	VII

AREA-WISE DETAILS OF FLATS

Type V (A)	-	Drawing Room + One Bed Room Set
Type V (B)	-	Drawing Room + Two Bed Rooms Set
Type V (C)	-	Drawing Room + Three Bed Rooms Set
Type V (D)	-	Drawing Room + Four Bed Rooms Set
Combined Flat Type V (A/A)	-	Two Drawing Rooms and Two Bed Rooms Set
Combined Flat Type V (A/B)	-	Two Drawing Rooms and Three Bed Rooms Set
Combined Flat Type V (B/B)	-	Two Drawing Rooms and Four Bed Rooms Set
Hostel Type	-	Single and Double Room Sets in Western Court Hostel and Vithalbhai Patel House
Type VI (Spl. Type)	-	MS Flat, B.K.S. Marg—Drawing + Three Bed Rooms + Two Staff Quarters + One Motor Garage

Sl. Locality No.	Total Unit	Flat Nos.	Category
1. Tilak Lane	2	C-II/5, C-II/32	V (D)
2. Pandara Park	1	*(C/3)	V
3. Rabindra Nagar	1	D-I/35	V(B)
4. M.S. Flats	39	A-1, A-3, A-4, A-5, A-6, A-7, B-1, B-4, B-5, C-1, C-2, C-3, C-6, C-7, D-1, D-2, D-4, B-201, B-203, B-204, B-301, B-302, B-304, B-401, B-402, B-403, B-404, B-501, B-502, B-504, B-601, B-602, B-603, B-604, B-701, B-702, B-703, B-704, C-503	VI (Special Type)
5. Meena Bagh Type-C	21	1, 8, 9, 10, 11, 19, 21, 22, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 38, 41, 43, 44	V(C)
6. North Avenue Type-A	6	4, 6, 96, 196 *(95, 195)	V

*Not available for allotment.

1	2	3	4	5
	Type-B	115	1, 2, 11,12, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 27,28, 29, 31, 33, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 48, 50, 59, 61, 62, 65, 67,68, 69,70, 71, 72, 73, 76, 83, 84, 85, 89, 91, 92, 93, 94, 97, 98, 100, 114, 115, 118, 122, 127, 128, 130, 132, 139, 140, 142, 143, 146, 147, 148, 149, 150, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 183, 184, 185, 187, 188, 189, 190, 192, 194, 197, 200, 201, 202, 204, 206, 208, 209, 212, 213, 214, 215 ,216, 217, 218, 219, 221, 222, 224, 225, 226, 227 *(64, 102, 111)	V
	Type-C	2	30, 32	V
	Combined Flats Type A/A	23	3-5, 7-9, 8-10, 23-25, 24-26, 35-37, 51-53, 52-54, 55-57, 56-58, 80-82, 104-106, 107-109, 108-110, 123 -125, 124-126, 152-154, 155,157, 156-158, 167-169, 168-170, 179-181, 180-182	V
6.	South Avenue			
	Type-B	65	6, 10, 14, 20, 26, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 51, 52, 56, 58, 59, 64, 65, 68, 69, 70, 72, 73, 74, 84, 105, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 119, 121, 123, 125, 126, 131, 132, 133, 134, 136, 137, 142, 151, 152, 157, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 167, 169, 170, 180, 186, 189 *(13, 31, 71, 120)	V
	Type-C	24	22, 77, 80, 81, 82, 85, 86, 87, 89, 90, 91, 92, 122, 173, 174, 175, 176, 178, 182, 184, 185, 187, 188, 201	V
	Combined Flats Type- A/A	20	1-3, 2-4, 15-17, 16-18, 27-29, 28-30, 43-45, 44-46, 47-49, 48-50, 101-103, 115-117, 116-118, 127-129, 128-130, 143-145, 144-146, 147-149, 148-150, 171-172	V
	Combined Flats Type B/B	4	33-35, 37-39, 203-204 *(154-156)	V
7.	V.P. House Double Suites	25	6, 7, 14, 101-B, 101-C, 114, 121, 127, 128, 213, 214, 221, 227, 228, 306, 307, 313, 321, 327, 328, 421, 506, 514, 520, 521	Hostel Type

*Not available for allotment.

1	2	3	4	5
	Single Suites	68	2, 3, 8, 9, 10, 25, 26, 101, 101-A, 102, 103, 108, 109, 110, 111, 116, 117, 125, 126, 201, 202, 205, 208, 210, 215, 216, 217, 218, 219, 224, 225, 226, 305, 308, 311, 312, 315, 319, 322, 323, 324, 325, 326, 401, 402, 403, 404, 405, 408, 409, 410, 412, 413, 423, 424, 425, 501, 502, 508, 510, 511, 515, 516, 517, 518, 519, 522, 524	Hostel Type

AREA-WISE DETAILS OF STAFF QUARTERS

Sl. No.	Area	Total Unit	Staff Quarter No.
1.	North Avenue	109	3, 4, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 40, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 64, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 110, 111, 113, 115, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 142, 143, 144, 146, 147, 148, 149, 150, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174
	North Avenue (N-Block)	20	N-4, N-8, N-10, N-11, N-12, N-13, N-15, N-16, N-17, N-18, N-19, N-20, N-21, N-22, N-23, N-24, N-25, N-26, N-27, N-28
2.	South Avenue	95	1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 49, 50, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 73, 75, 76, 77, 80, 81, 83, 86, 90, 91, 101, 102, 103, 105, 106, 113, 114, 115, 118, 120, 121, 123, 124, 125, 126, 132, 133, 134, 135, 136, 138, 139, 140, 141, 142, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 154, 156, 159, 161
	South Avenue (S-Block)	5	S-2, S-3, S-4, S-5, S-6
3.	V.P. House	33	1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 31, 32, 34, 35, 36, 38, 39, 41, 44, 47, 50, 51, 55, 57, 58, 63, 64
4.	Ferozeshah Road	42	1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 30, 34, 39, 41, 42, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66
5.	Canning Lane	1	2
6.	Dr. R.P. Road	15	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 (behind 22A Janpath), 12 (behind 21A Janpath), 13, 29
7.	Western Court Hostel B-Block	3	4-B, 6-B, 10-B
	Western Court New Construction	5	3, 6, 18, 19, 20

AREA-WISE DETAILS OF MOTOR GARAGES

Sl. Area No.	Total Unit	Motor Garage No.
1. North Avenue	34	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 102, 104, 106, 107, 108, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 124, 125
North Avenue N-Block	24	N-4, N-5, N-7, N-8, N-10, N-13, N-14, N-15, N-16, N-17, N-18, N-19, N-20, N-21, N-22, N-23, N-25, N-26, N-27, N-29, N-30, N-31, N-33, N-37
2. South Avenue	31	2, 3, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 109, 110, 113, 114, 115, 117, 118, 119, 120
South Avenue (S-Block)	12	S-1, S-3, S-5, S-6, S-7, S-9, S-10, S-11, S-12, S-13, S-15, S-16
3. V.P. House	15	1, 3, 6, 7, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 22, 24, 25, 26
4. Canning Lane	4	77, 78, 79, 84
5. Ferozeshah Road	10	53, 54, 59, 61, 62, 63, 70, 71, 74, 75
6. Dr. R.P. Road	2	8, 10
7. Rabindra Nagar	1	82
8. Meena Bagh	17	1, 2-B, 3, 6, 7, 8, 9, 10-A, 11, 13, 14, 14-A, 15, 16, 17, 21, 22

ANNEXURE II

(Vide Para 7 of Accommodation Circular—May, 2009)

OTHER FACILITIES OF HOUSING ETC. AVAILABLE TO MEMBERS OF LOK SABHA

1. Every Member shall also be entitled without payment of charges to the supply of water upto 4000KL and electricity upto maximum of 50,000 units per annum (25,000 units each on light/power meters or pooled together) in respect of any accommodation allotted to him/her by House Committee in respect of any private accommodation occupied by the Member in Delhi. If both husband and wife are Members of either House of the Parliament and are residing in the same accommodation, the electricity in units and water in kilolitre shall be calculated separately.

2. Where in respect of any accommodation, licence fee is payable on account of any improvement or addition made to it or any additional service provided thereto, it shall be twenty-five per cent less than the normal rent payable in respect of such improvement, addition or additional service.

3. Furniture shall be made available free of charge to the Members within the existing monetary ceiling of Rs. 60,000/- in respect of durable furniture and Rs. 15,000 for non-durable furniture respectively. However, additional provision such as tiles in bath room and kitchen and the facility of washing of sofa and curtains after every three months, the same shall be provided free of cost to the Member. The rent for additional items of furniture shall be charged on the depreciated value of the furniture so made available at the residence of a Member.

Explanation I—"Improvement or addition" means the provision of additional accommodation, furniture, table and pedestal fans, table lamps, floor standard lamps, boilers, refrigerators, desert coolers and air-conditioning units.

Explanation II—"Furniture" means such items of furniture as are admissible to a Member for a residence allotted to him and includes any additional items taken on rent by him/her.

Explanation III—"Additional Service" means:

- (a) the provision of Safai karamcharis, Jamadars and the staff attached to Members' residence with dusters and brooms;
- (b) the supply of electric bulbs at the residences of Members;
- (c) the maintenance of flower beds;
- (d) the maintenance of any place (like an Enquiry Office) intended for the common benefit of Members; and
- (e) any other service provided for the common benefit of Members.

4. **Rebate**—Sometimes on request being made by Members, additions/alterations in the form of additional accommodation is carried out at the residences of the Members and furniture and other items of electrical appliances are supplied at their residences. The Members are liable to pay additional rent for such additions/alterations as also furniture items and additional services with 25% rebate as provided in the Housing and Telephone Facilities (Members of Parliament) Rules, 1956 (as amended).

5. The light, power and water connections, for bungalows/flats can be obtained from the New Delhi Municipal Council (NDMC) on deposit of security money. No security deposit is necessary in the case of Vithalbhai Patel House, Western Court Hostel where sub-meters have been provided by the Government. Every Member, in respect of any accommodation allotted to him, is entitled without payment of charges to the supply of water and electricity as mentioned at para 1 above.

6. The flats in Vithalbhai Patel House at Rafi Marg have been provided with independent kitchenettes. No Member shall be allowed to use coke/charcoal/firewood in the kitchen. He/She would make his/her own arrangements for gas/electric stove, etc., in these flats.

7. In the Western Court, messing facility is available. In bungalows or flats the Members are required to make their own messing arrangements. Messing in the Western Court is not *compulsory* for MPs. In the case of guests or family members sharing accommodation with a Member in the same suite, messing will be optional, but such guests or family members who stay in independent suites (other than the rooms allotted to the Members) messing will be compulsory.

N.B.—1. (i) Under the Housing and Telephone Facilities (MPs) Rules, 1956 (as amended), Members are entitled to avail housing facility in the form of Flat type accommodation along with one unit of Staff Quarter and Motor Garage free to cost. However, due to shortage of Motor Garage in Lok Sabha Pool, Motor Garage will be allotted subject to availability.

(ii) the rent for bungalow type accommodation including rent of Staff Quarters and Motor Garage is subject to a maximum of Rs. 105/- p.m.

2. (i) Durable furniture of the cost of Rs. 60,000/- and non-durable furniture of Rs. 15,000/- are rent free.

(ii) Rent for durable furniture above the cost of Rs. 60,000/- will be charged @ 1.2% per month and for non-durable furniture above the cost of Rs. 15,000/- will be charged @ 2% per month.

3. The rent/charges for services is chargeable as determined by the Government from time to time.

(i) The charges for additional services in respect of bungalows represent the share of expenditure on services such as pay of safai karamchhari and jamadars and materials for the staff, such as dusters, brooms, etc.

(ii) The charges for additional services in respect of flats at North and South Avenues, include share of expenditure on conservice for common place and share of:—

- (a) Rent of accommodation, furniture, refrigerators and other articles and services provided in common halls;
- (b) Charges of electricity consumed in Badminton Courts at North Avenue and South Avenue;
- (c) Share of rent of canteens at North Avenue and South Avenue furniture, etc. provided therein; and
- (d) Share of rent providing of partition hedges in the common lawns of North and South Avenues; providing and fixing R.C.C. posts as obstacles at the end of approaches at North and South Avenues; providing small urinal stalls over the terrace of flats on first floor at North and South Avenues; Share of rent of the building of Billiard Room in MPs Club in North/South Avenue; and providing iron bars to windows and ventilators in first floor flat at North/South Avenues.

(iii) The charges for additional services in respect of flat at Meena Bagh include the water charges for the servant quarter attached to each flat.

4. Additional rent is recoverable on account of addition and alterations made in bungalows, flats, staff quarters, garages, etc. from time to time over and above the usual rent.

5. No charges for maintenance of flower and vegetable beds will be recoverable from Members who do not desire this work to be carried out by the *malis* of the CPWD.

6. No rent of scale furniture is recoverable if the residences are allotted and occupied as unfurnished. Proportionate rebate in rent for scale furniture is admissible on the articles of scale furniture returned.

7. In the case of suites in Vithalbai Patel House the charges of Electricity & Water consumption are recoverable in addition on the basis of meter readings.

8. (i) The following items are also supplied to Members on rental basis through CPWD Enquiries:—

- (a) Refrigerator (large, medium or small)—one
- (b) Air Conditioner (Split/Window type)— For each Drawing and Bed Room.
- (c) Desert Cooler/Room Cooler—In place of Air Conditioner, if required.
- (d) Room Heater/Blower—for each Drawing and Bed Room.
- (e) Insect Killer—for each Drawing and Bed Room.
- (f) Boiler (25 ltr. or 35 ltr. or 50 ltr.)—One.
- (g) Aquaguard—one.

(ii) The rent for the above electrical items is chargeable as determined by the Government from time to time.

(iii) The above items will be supplied through CPWD Enquiries on availability of stock whether new or old.

9. Besides. Solar Water Heating System are being installed at the residences of Members in New Delhi. Similarly, another proposal is being undertaken to supply Piped Natural Gas (PNG) at the residences of Members through Indraprastha Gas Limited (IGL) in New Delhi.

10. Rates of rent and other services/items of all residences are provisional and are subject to revision with retrospective effect.

ANNEXURE III

(Vide Para 8 of Accommodation Circular—May, 2009)

GENERAL PRINCIPLES TO BE FOLLOWED IN ALLOTTING RESIDENCES TO MEMBERS OF LOK SABHA

The following general principles to be followed in allotting residences to Members:—

- (a) Any informal arrangement made between an ex-Member and a newly elected Member regarding occupation of any residence will not be recognized. Only an allotment made by the House Committee will be valid. Any infringement in this regard is likely to result in avoidable dislocation and inconvenience to a newly-elected Member.
- (b) Member who vacated the flats and bungalows allotted to them will have no claim, whatsoever, for allotment of the same residence.
- (c) In the case of allotment of accommodation preference will be given to those Members who apply before the last date fixed in paragraph 17 of the Accommodation Circular for receiving applications.
- (d) Separate allotment will be made to each member by the Lok Sabha Secretariat on the advice of Accommodation Sub-Committee of the House Committee of the Lok Sabha or its Chairman as per the criteria adopted by House Committee.

Ballot—In case it is necessary to resort to balloting for allotment of residences to Members the following procedure may be adopted:—

"A list of Member applying for each type of accommodation will be prepared by the Lok Sabha Secretariat who will incorporate therein all applications received up to a specified date. The list will be serially numbered.

At the appointed time for holding the ballot, paper discs with number corresponding to those against which entries have been made in the numbered list will be kept ready. These discs will be placed in the ballot box in the presence of the Chairman, House Committee or a designated Officer of the Lok Sabha Secretariat.

One of the Officers present at the time of the ballot will take out at random from the box one of the discs and the corresponding name will be called out from the numbered list which will then be entered on the priority list by the Lok Sabha Secretariat. The procedure will be carried out till all the numbers have been drawn. The priority list will be signed by the Chairman, House Committee and the senior most Officer of the Lok Sabha Secretariat who may be present at that time."

ANNEXURE IV

(Vide Para 9 of Accommodation Circular—May, 2009)

PROCEDURE FOR HANDING/TAKING OVER OF BUNGALOWS/FLATS/HOSTELS

Handing over of Bungalows/Flats/Hostels

(i) When the regular accommodation including temporary accommodation for stay of guest, marriage purpose of Staff Quarter/garage allotted to Member is to be given up by the Member, its vacant possession must be given either to the Central Public Works Department Enquiry Officer or the Receptionist of the Hostel concerned as the case may be. Till such vacant possession is given. Member will be considered to be in occupation of the same. Member will be personally responsible for any loss or damage to Government property provided in the residence. If the loss or damage occurs during Member's *de facto* or *de jure* occupation of the residence.

(ii) CPWD Service Centre shall be notified well in advance the proposed date and time of handing over of the premises.

(iii) The Member in whose name the premises stands allotted should, as far as possible, hand over the possession himself to the CPWD Service Centre. In case the Member wants to get the premises handed over through his authorized representative, an authority letter authorizing the representative with his attested signature to hand over the possession of the premises and to sign the deficiency report of furniture (if any) should be sent.

(iv) The Member should ensure the compliance of the following formalities before approaching CPWD Service Centre for issue of vacation report.

- (a) They should get the Electricity/Water Connection disconnected from NDMC and obtain a No Objection Certificate after disconnection from NDMC regarding upto date payment of electricity and water charges.
- (b) They should return the Air-conditioners, Refrigerators, Coolers, etc. taken on hire from Air-Conditioning Division, CPWD and obtain a 'No Demand Certificate' from them. Similarly, No Demand Certificate from concerned Electrical Divisions, CPWD, shall be obtained in respect of Electrical fittings and fixtures including geysers and blowers etc.
- (c) They should return the furniture taken from CPWD to the concerned Service Centre and obtain No Dues Certificate from them. If any deficiency in the furniture is noticed, a report to this effect shall be prepared by CPWD Service Centre and has to be signed by the Member and handed over to the CPWD representative at the time of vacation.

(v) After completing the above formalities, the Member shall hand over vacant possession of flat/bungalow along with servant quarter and garage to the concerned CPWD Service Centre.

(vi) Vacation report shall be issued by the CPWD Service Centre after completion of above formalities.

Taking Over of Bungalows/Flats/Hostel

(i) A Member to whom a bungalow or a flat or hostel accommodation is allotted is required to give at least three days notice of his arrival to the Central Public Works Department Enquiry Office concerned and for the Western Court to the Superintendent of the Western Court Hostel as the case may be.

(ii) The Member shall approach the concerned CPWD Service Centre along with authority slip issued by the Lok Sabha Secretariat personally or through his authorized representative whose signature shall be duly attested by the Member with authorization letter for taking over the possession of the premises and for signing the inventory of the furniture, etc.

(iii) Vacant possession of bungalows/flats including staff quarters and garage (if allotted) shall be given by CPWD Service Centre to the allottee during office hours.

(iv) Only routine works like white-washing, painting, cleaning of premises, etc., shall be carried out by CPWD to make the premises habitable.

(v) Before any requisition for addition/alteration work is given to CPWD, the possession of bungalow/flat must be taken over by the allottee. The rental liability shall commence from the date when the premises is made habitable after completion of routine works.

(vi) For any work of addition/alteration, a requisition shall be given by the Member to the CPWD who in turn will prepare the estimate and forward the same to the House Committee for approval. Any work of addition/alteration shall be carried out only after the sanction of House Committee for works costing Rs. 75,000/- in total for the full term of the Member of Parliament and beyond that by Ministry of Urban Development.

(vii) CPWD Service Centre shall provide old furniture on written requisition by the Member. In case the Member desires that the furniture be issued to his authorized representative. He should send his requirement of furniture to concerned CPWD Service Centre along with authorization letter with attested signature of the representative and authority for acknowledging receipt and return of the furniture. The furniture inventory shall be signed by Member himself or his authorized representative.

(viii) For supply of new furniture articles, the financial limit for sanction by House Committee for durable and non-durable articles is Rs. 75,000/- only for full term of the Member. New furniture articles will be supplied only after sanction to the estimate is communicated by the House Committee.

(ix) Furniture articles costing Rs. 75,000/- (Rs. 60,000/- for durable items + Rs. 15,000/- for non-durable items) will be provided rent free. For any furniture taken over and above this limit, additional rent will be charged on durable items 1.2% per months and non-durable 2% per month.

Complaints relating to NDMC/CPWD Received in various CPWD Enquiry Offices under Single Window System

(i) Members may lodge their complaints relating to NDMC and CPWD in respect of health, water supply, sewerage, horticulture and civil works under a Single Window System at the following CPWD Enquiry Offices located in MPs residential areas.:—

<i>CPWD Enquiry Office</i>	-	<i>Telephone Nos.</i>
North Avenue Service Centre	-	23093997, 23092891
South Avenue Service Centre	-	23016977, 23015250
Ferozeshah Road Service Centre	-	23389738, 23381866
Sunehari Bagh Service Centre	-	23017631, 23018746
Vithal Bhai Patel House Service Centre	-	23719780
M.S. Flat, B.K.S. Marg Service Centre	-	23324084, 23739558

(ii) For complaints in respect of inadequate water supply, blockage of sewer line and non-removal of garbage, complaint may also be made to NDMC Control Room Phone Nos. 23743642, 23360683, 26870249 (sewer line), 23348300/301 (for garbage removal).

ANNEXURE V

(Vide Para 9 of Accommodation Circular—May, 2009)

RENTAL RESPONSIBILITY IN CONNECTION WITH ALLOTMENT OF LOK SABHA MEMBERS' POOL ACCOMMODATION

(a) Acceptance/occupation of allotted accommodation

	During Non-session Period	During of Session Period
(i) Period during which a Member is required to accept or refuse the allotment.	Within 8 days of the issue of allotment letter.	Within 5 days of the issue of the allotment letter.
(ii) Period during which a Member who has accepted an allotment required to occupy the residence.	Within 3 days of the commencement of the next session.	Within 8 days of the issue of the allotment letter.
(iii) Period during which a Member when given change of accommodation is required to shift from one residence to another.	-do-	Within 3 days of the commencement of the next session.

(b) A residence will, however, be liable for re-allotment to another Member on the waiting list, who has not been provided with accommodation if it remains unoccupied beyond the offered period.

(c) These conditions may, however, be relaxed in individual cases by the House Committee or the Chairman, House Committee.

(d) Rental Responsibility:

(i) *Bungalow Type Accommodation*—When a Member of Lok Sabha who is without accommodation is allotted a residence and such allotment is duly accepted by him, his responsibility for payment of rent, etc. in case of Bungalow type accommodation would commence from the 8th day of the issue of allotment letter or the date of occupation whichever is early. During session period within 3 days from the date of commencement of next session in case of allotment made during non-session period.

(ii) *Change of Accommodation*—When the Member is allowed a change from one residence to another and such a change is duly accepted by him, his responsibility for payment of rent, etc., in respect of the newly allotted residence would commence from the 4th day from the date of occupation and his allotment of the old residence would be deemed to have been cancelled from the 4th day from the date of occupation and rent etc. at market rate charged for the old residence till finally surrendered and vacated subject to the *proviso to Rule 5 of the Housing and Telephone Facilities (Members of Parliament) Rules, 1956 (as amended)*.

(iii) *Flat/Hostel Type Accommodation*—In case of Flat and Hostel type accommodation which is allotted to a Member free of licence fee, the Member is liable to pay market rate of licence fee in respect of the accommodation originally under his occupation if not vacated in time or market rate of licence fee of the accommodation allotted as change if not occupied in time as per rules laid down above.

(iv) *Additional Accommodation*—Rent for any additional accommodation provided to a Member shall be chargeable at a market rate. (This includes temporary allotments for marriage/guests in MP Flats or in Western Court). The allotments of extra servant quarters/garages, etc. shall be similarly regulated.

(v) *Temporary Accommodation*—In case Member is in occupation of temporary accommodation provided in V.P. House, State Guest House, Western Court Hostel or anywhere else for which Government is responsible for reimbursement of rent, he/she will vacate the same immediately after he/she occupies the regular accommodation allotted to him/her. In case the Member fails to do so, he/she will be responsible for payment of rent of such temporary accommodation.

(vi) Date of occupation of accommodation will be reckoned from the date the occupation report prepared by the CPWD and is signed by the Member of authorized representative.

ANNEXURE VI

(Vide Para 14 of Accommodation Circular—May, 2009)

APPLICATION FOR ALLOTMENT OF RESIDENTIAL ACCOMMODATION TO MEMBERS OF LOK SABHA

1. Name of the Member : _____
(in block letters)
2. Constituency : _____
(in block letters)
3. State : _____
4. Whether the Member has been a :

						From Year/Month		To Year/Month		Total Period
(i)	Cabinet Minister in the Centre	:	Yes	No						
(ii)	Minister of State in the Centre	:	Yes	No						
(iii)	Deputy Minister/Parliamentary Secretary in the Centre	:	Yes	No						
(iv)	Chief Minister	:	Yes	No						
(v)	Governor	:	Yes	No						
(vi)	Speaker, Lok Sabha	:	Yes	No						
(vii)	Deputy Speaker, Lok Sabha	:	Yes	No						
(viii)	Speaker, State Legislature	:	Yes	No						
(ix)	Chief Justice/Justice of Supreme Court	:	Yes	No						
(x)	Diplomat (Position)	:	Yes	No						
(xi)	Chief Justice/Justice of High Court	:	Yes	No						
(xii)	Recognised Opposition Leader in Parliament/State Legislature	:	Yes	No						
(xiii)	Cabinet Minister in State	:	Yes	No						
(xiv)	Minister of State in State	:	Yes	No						
(xv)	Deputy Minister/Parliamentary Secretary in State	:	Yes	No						

5. For how many terms the Member has been elected to Lok Sabha/Rajya Sabha _____ Total period _____
6. (i) Details of accommodation, if any occupied during the term of last Lok Sabha: _____
- (ii) Whether the accommodation occupied was surrendered or is being retained: _____
- (iii) Date of likely vacation: _____
7. Order of preference for area where residential accommodation is desired from Lok Sabha Pool: (Subject to entitlement/availability)
- First Preference _____
- Second Preference _____
- Third Preference _____
8. Whether the Member or any member of his family has a house in his/her name within a radius of 6 miles from the Parliament House, if so, the details thereof:

9. Certificate from the Member:

I certify that—

- (i) The details given above by me are true to the best of my knowledge and belief.
- (ii) I have read the rules under which residences from the Lok Sabha Pool are allotted to Members of Parliament and agree to abide by them.
- (iii) The residence applied for is required for my use and the use of members of my family.
- (iv) I will not sublet or share the residence with any other person, whether a Member of Parliament or otherwise, without the prior permission in writing of the Chairman, House Committee.
- (v) I undertake to vacate the accommodation temporarily allotted to me immediately after I occupy the accommodation allotted to me by the House Committee on a regular basis.

Date:

(Signature of the Member)

Identity Card No. _____

To

The Director,
Lok Sabha Secretariat,
New Delhi.

- Note:** (i) Accommodation once allotted by the House Committee as per the preference given by the Member will not be subject to change till all the Members are allotted regular accommodation.
- (ii) For details of accommodation in Lok Sabha MPs Pool. Please refer to the **Accommodation Circular**.

ANNEXURE VII

(Vide Para 15 of Accommodation Circular—May, 2009)

APPLICATION FOR ALLOTMENT OF STAFF QUARTER TO MEMBERS OF LOK SABHA

To

The Under Secretary,
M.S. Branch,
Lok Sabha Secretariat,
New Delhi

Sir/Madam,

I am to request you kindly to allot a Staff Quarter to me for the use of my servant. The particulars of my servant are given below:—

1. Particulars of the domestic staff/driver:—

(a) Name _____ Age _____ Years

(b) Father's Name _____

(c) Photo I.D. No. _____

Photograph
of servant
duly attested
by Member

(Please enclose a copy of Ration Card/Driving Licence/I. Card issued by LSS/or any other employing agency)

(d) Permanent Address _____

Mohalla _____

Post Office _____

District _____

State _____

(e) Any two visible identification marks:—

(f) General description which may help recognition of the Staff to unknown persons:—

P.T.O.

2. Particulars of other persons/family members of the servant/staff/driver for whom accommodation is required, if any—

S.No.	Name	Age	Relationship with Staff
-------	------	-----	-------------------------

3. Locality/Floor preferred _____

4. Certified by the Member:—

I hereby certify that the details of guest(s) given above are true to the best of my knowledge and belief. Shri _____ for whom I require a Staff Quarter is my *bona fide* domestic staff/driver of my Car No. _____. A Staff Quarter when allotted to me in my turn will be utilized as a residence for my aforesaid domestic staff (and his family) only and for no other purpose.

Signature _____,MP

Name of the MP _____
(Block Letters)

Constituency _____

Identity Card No. _____

- N.B.—**
1. Staff Quarter will be allotted subject to availability in the locality where the residence is allotted to a Member.
 2. This application will not be entertained if all the particulars required above have not been furnished.

ANNEXURE VIII

(Vide Para 15 of Accommodation Circular—May, 2009)

APPLICATION FOR ALLOTMENT OF MOTOR GARAGE TO MEMBERS OF LOK SABHA

To

The Under Secretary,
M.S. Branch,
Lok Sabha Secretariat,
New Delhi

Subject: **Allotment of a Motor Garage**

Sir/Madam,

I request you kindly to allot me a motor garage near my flat/bungalow No.
allotted to me. The particulars of my car are given below:—

1. Registration No.
2. Registered at.....in the name of.....
3. Make of the car.....
4. I certify that:—

- (i) the car specified above is owned by me;
- (ii) the garage when allotted will be used only for keeping my car and for no other purpose whatsoever; and
- (iii) the garage will be surrendered when not required.

5. Name of the Driver.....(N.A. in case of self-driven)

Licence No. with upto date validity

Yours faithfully,

Date.....

Signature_____

Place.....

Name of M.P._____

Constituency_____

I.C. No._____

N.B.— (i) Member is requested to kindly enclose a photocopy of registration certificate in respect of vehicle registered in his/her own name.

(ii) Motor Garage will be allotted, subject to the availability in the locality where the residence is allotted to a Member.

ANNEXURE IX

(Vide Para 15 of Accommodation Circular—May, 2009)

**APPLICATION FOR ALLOTMENT OF REFRIGERATORS AND AIR-CONDITIONERS IN DELHI AND NEW DELHI
TO MEMBERS OF LOK SABHA**

1. Name (Block Letters):
2. Residence occupied:
3. Whether the residence is fitted with—
 - (i) Power Plug:
 - (ii) Power Meter:
4. No. and capacity of Refrigerator/ACs:
5. Whether the refrigerator/ACs is required for—
 - (i) the whole year:
or
 - (ii) temporarily (state period):
6. Whether any refrigerator/ACs was supplied during the preceding year? If so, please state whether the refrigerator/ACs supplied was—
 - (i) for the whole preceding year:
or
 - (ii) temporarily (state period):
7. No. and capacity of refrigerator/ACs supplied (state size, if known):
8. Permanent Address:
I will pay rental/deficiency charges, if any, as per the rules.

Dated:

Signature of the Member

Constituency No.

Identity Card No.

To

The Under Secretary,
M.S. Branch,
Lok Sabha Secretariat,
New Delhi

ANNEXURE X

(Vide Para 16 of Accommodation Circular—May, 2009)

(TO BE FILLED IN DUPLICATE)

APPLICATION FOR FIRST MOBILE PHONE CONNECTION FOR A MEMBER OF PARLIAMENT UNDER THE HOUSING AND TELEPHONE FACILITIES (MEMBERS OF PARLIAMENT) RULES, 1956 (AS AMENDED)

Dated: _____

From

_____, M.P.
(Name in Block Letters)

To

The Under Secretary,
MS Branch,
Lok Sabha Secretariat,
New Delhi.

Sir/Madam,

Kindly arrange to provide me one mobile phone connection (MTNL)* in Delhi with national roaming facility for my use as a Member of Parliament.

OR

My existing mobile number _____ taken from MTNL, Delhi which is in my name may be converted from private to MP connection with national roaming facility, for my use in Delhi as a Member of Parliament.

2. I undertake to pay in full all the Telecommunications, MTNL and BSNL dues, in excess of those payable under the Housing and Telephone Facilities (Members of Parliament) (Amendment) Rules, 1956 (as amended), in respect of the above phone(s).

Yours faithfully,

Member of Parliament _____

I.C. No. _____

Constituency _____

*Requisite proforma may be obtained from LO (MTNL) Room No. 520, Parliament House Annexe, New Delhi.

ANNEXURE XI

(Vide Para 16 of Accommodation Circular—May, 2009)

(TO BE FILLED IN DUPLICATE)

APPLICATION FOR SECOND MOBILE PHONE CONNECTION FOR A MEMBER OF PARLIAMENT UNDER THE HOUSING AND TELEPHONE FACILITIES (MEMBERS OF PARLIAMENT) RULES, 1956 (AS AMENDED)

Dated: _____

From

_____, M.P.
(Name in Block Letters)

To

The Under Secretary,
MS Branch,
Lok Sabha Secretariat,
New Delhi.

Sir/Madam,

In addition to my existing MTNL Delhi Dolphin Mobile Connection Number _____ of MTNL, kindly arrange to:

Option-I

Provide me the 2nd Mobile of MTNL Delhi Dolphin with National roaming facility in Delhi/New Delhi.

OR

Option-II

Provide me the 2nd Mobile Phone connection of BSNL from my constituency namely _____ District _____ State _____ with National roaming facility for my use as a Member of Parliament.

OR

Option-III

Convert my existing Post paid connection of MTNL/BSNL bearing Number _____ (which is working in my name only and not in any other name) to MP quota *w.e.f.* 12.12.2006 and provide National roaming.

2. I undertake to pay in full all the Telecommunications, MTNL and BSNL dues, in excess of those payable under the Housing and Telephone Facilities (Members of Parliament) (Amendment) Rules, 1956 (as amended), in respect of phone(s).

Yours faithfully,

Member of Parliament _____

I.C. No. _____

Constituency _____

ANNEXURE XII

(Vide Para 16 of Accommodation Circular—May, 2009)

(TO BE FILLED IN DUPLICATE)

APPLICATION FOR THE INSTALLATION OF TELEPHONE AT THE USUAL PLACE OF RESIDENCE OF A MEMBER OF PARLIAMENT UNDER THE HOUSING AND TELEPHONE FACILITIES (MEMBERS OF PARLIAMENT) RULES, 1956 (AS AMENDED)

Dated: _____

From

_____, M.P.
(Name in Block Letters)

To

The Under Secretary,
M.S. Branch,
Lok Sabha Secretariat,
New Delhi.

Sir/Madam,

Kindly arrange to provide a new telephone connection for me/to treat telephone No. _____ working for me as per particulars mentioned below under the Housing and Telephone Facilities (Members of Parliament) Rules, 1956 (as amended):—

- (i) Location of the Phone: House No. _____
Town/Village _____
Taluka/Tehsil _____
District _____
State _____
- (ii) Name of the nearest Telephone Exchange _____
- (iii) Approximate distance from nearest Exchange by road _____
- (iv) Particulars of any other Telephone(s) already working for me in the Constituency/permanent residence or office _____
- (v) The above location is my usual place of residence/a place situated within the State in which my constituency is or within the State in which I reside.

2. I undertake to pay in full all the Telecommunications, MTNL and BSNL dues, in excess of those payable under The Housing and Telephone Facilities (Members of Parliament) Rules, 1956 (as amended), in respect of the above telephone.

Yours faithfully,

Member of Parliament _____

I.C. No. _____

Constituency _____

ANNEXURE XIII

(Vide Para 16 of Accommodation Circular—May, 2009)

(TO BE FILLED IN DUPLICATE)

APPLICATION FOR THE INSTALLATION OF TELEPHONE AT DELHI/NEW DELHI FOR A MEMBER OF PARLIAMENT UNDER THE HOUSING AND TELEPHONE FACILITIES (MEMBERS OF PARLIAMENT) RULES, 1956 (AS AMENDED)

Dated: _____

From

_____, M.P.

(Name in Block Letters)

To

The Under Secretary,
MS Branch,
Lok Sabha Secretariat,
New Delhi.

Sir/Madam,

Kindly arrange to provide a new telephone connection for me

Without STD/with NSD/Both NSD&ISD

To treat telephone No. _____ already working for me

at the following address under the Housing and Telephone Facilities (Members of Parliament) Rules, 1956 (as amended):—

New Delhi/Delhi

2. The telephone may be made over at any time during _____ hours to _____ hours on _____

3. I undertake to pay in full all the Telecommunications, MTNL and BSNL dues, in excess of those payable under The Housing and Telephone Facilities (Members of Parliament) Rules, 1956 (as amended), in respect of the above telephone.

Member of Parliament _____

I.C. No. _____

Constituency _____

ANNEXURE XIV

(Vide Para 16 of Accommodation Circular—May, 2009)

(TO BE FILLED IN DUPLICATE)

APPLICATION FOR THE INSTALLATION OF THIRD TELEPHONE CONNECTION AT THE RESIDENCE OF A MEMBER OF PARLIAMENT UNDER THE HOUSING AND TELEPHONE FACILITIES (MEMBERS OF PARLIAMENT) RULES, 1956 (AS AMENDED)

Dated: _____

From

_____, M.P.

(Name in Block Letters)

To

The Under Secretary,
MS Branch,
Lok Sabha Secretariat,
New Delhi.

Sir/Madam,

Kindly arrange to provide a new telephone, connection for me for internet connectivity purposes either:

- (a) At my office situated in my residence in Delhi or New Delhi; or
- (b) At my usual place of residence; or
- (c) At a place selected within my constituency or State; or
- (d) Within the State in which I reside.

2. Particulars mentioned below under the Housing and Telephone Facilities (Members of Parliament) Rules, 1956 (as amended):—

- (i) Location of the Phone: House No. _____
Town/Village _____
Taluka/Tehsil _____
District _____
State _____
- (ii) Name of the nearest Telephone Exchange _____
- (iii) Appropriate distance from nearest Exchange by road _____
- (iv) The above location is (a), (b), (c), (d) as above _____

3. I undertake to pay in full all the Telecommunications, MTNL and BSNL dues, in excess of those payable under The Housing and Telephone Facilities (Members of Parliament) Rules, 1956 (as amended), in respect of the above telephone.

Yours faithfully,

Member of Parliament _____

I.C. No. _____

Constituency _____

ANNEXURE XV

(Vide Para 16 of Accommodation Circular—May, 2009)

(TO BE FILLED IN DUPLICATE)

**APPLICATION FOR THE PROVISION OF BROADBAND INTERNET FACILITY ON TELEPHONE CONNECTION
TO A MEMBER OF PARLIAMENT UNDER THE HOUSING AND TELEPHONE FACILITIES
(MEMBERS OF PARLIAMENT) RULES, 1956 (AS AMENDED)**

From

_____, M.P.

Dated: _____

(Name in Block Letters)

To

The Under Secretary,
MS Branch,
Lok Sabha Secretariat,
New Delhi.

Sir/Madam,

Kindly arrange to provide Broadband Internet facility on telephone No. _____ under the Housing and Telephone Facilities (Members of Parliament) (Amendment) Rules, 1956 (as amended):

- (a) At my office situated in my residence in Delhi or New Delhi; or
- (b) At my usual place of residence; or
- (c) At a place, selected within my constituency or State; or
- (d) Within the State in which I reside as per particulars mentioned below.

Particulars of the Phone and location where the broadband internet facility is required:

Telephone No. _____

House No. _____

Town/Village _____

Taluka/Tehsil _____

District _____

State _____

(i) Name of the nearest Telephone Exchange _____

(ii) Approximate distance from nearest Telephone Exchange _____

2. I undertake to abide by all the terms and conditions for the provision of Broadband connectivity on the existing landline connection.

3. I undertake to pay in full all the Telecommunications, MTNL and BSNL dues in excess to Rs. 1500/- per mensum as payable under The Housing and Telephone Facilities (Members of Parliament) Rules, 1956 (as amended), in respect of the above broadband connection.

Yours faithfully,

Member of Parliament _____

I.C. No. _____

Constituency _____